22. hrs.

Title: Further discussion regarding participation of Gram Sabha in Poverty Alleviation Programmes moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh on May 12, 2000.(Concluded and withdrawn)

डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी के संकल्प पर चर्चा करते हुए निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार से ग्राम सभाओं को सशक्त किया जाना चाहिए उस प्रकार से नहीं किया गया है। हमने ग्राम सभाओं की संस्थापना के बारे में विचार अवश्य किया है, जो संविधान की मंशा के अनुरूप है।

15.23 बजे (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा पीठासीन हुईं)

सभापति महोदय, जब पिछले दिनों "राजनीतिक शक्तीकरण दिवस" के रूप में विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसमें जिन लोगों ने भागीदारी की थी, दो-तीन दिन की बहस के बाद कुछ निर्का सामने निकल कर आए थे, उन निर्कों में यह बात स्पट रूप से कही गई थी कि गरीबी उन्मूलन से संबंधित सभी कार्यों को पंचायती राज अधिनियम में साफ तौर से परिभाति किया जाए, विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाओं को पंचायत के नियंत्रण में लाया जाए, केन्द्र तथा राज्य द्वारा पंचायत के अपने कैडर का गठन किया जाए, पंचायत कार्य प्रणाली पारदर्शी हो और इस दृटि से विधान सभा तथा संसद की तरह सवाल-जवाब करने का भी प्रावधान हो। इसके अतिरिक्त आश्वासन समिति भी गठित की जाए। इन सिफारिशों में एक सिफारिश और भी थी, जो माननीय सदस्य डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह के संकल्प को बल देती है कि ग्राम सभाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए संस्था को उतने ही अधिकार होने चाहिए जितने अधिनियम 1996 के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों को दिए गए हैं। मैं इस बात पर इसलिए बल दे रहा हूं कि निश्चित रूप से जब हम पंचायती राज की कल्पना और पंचायतों को सशक्त करने की बात करते हैं, तो हम ग्राम सभा को छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन वर्तमान में ग्राम सभा का जो स्वरूप है वह उतना ठीक नहीं है जितना कि हम चाहते हैं। मैंने इस बात का भी यहां उल्लेख किया था कि पिछले समय में मध्य प्रदेश में ग्रामीण सचिवालयों की स्थापना की गई थी और इन सचिवालयों में सप्ताह के एक दिन सभी क्षेत्रीय अधिकारी वहां इकट्ठे होकर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनते थे, लेकिन लंबे समय तक वह स्थिति चली नहीं और इस प्रकार की व्यवस्था संभव नहीं हो सकी। मैं मानकर चलता हूं कि इस समय केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं तब तक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी उनमें नहीं होती तब तक हम उनकी उपादेयता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करते रहेंगे।

दो दिन पहले यहां इंदिरा आवास योजना के बारे में चर्चा उठी थी कि किस प्रकार से केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया पैसा जो राज्य सरकारों के माध्यम से व्यय किया जाता है, उसकी उपयोगिता पर प्रश्न चिह्न खड़े किये गये थे और उसकी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की बात भी कही गयी थी। यह भी कहा गया था कि जन-प्रतिनिधियों की इसमें कहीं न कहीं, किसी रूप में भी हो, एक विशिट भागीदारी होनी चाहिए जो आज नहीं है। बहुत सारी योजनायें हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो जवाहर योजना के नाम से पहले थी, दूसरी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, स्वर्ण जयंती सहकारी योजना, राट्रीय महिला कोा, इंदिरा महिला योजना आदि ऐसी अनेक योजनायें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र को प्रगति की ओर ले जाकर उन्हें समृद्ध बनाने में सहायक हो सकती हैं। लेकिन प्रश्न वही है जो मूल रूप से, जिन्होंने यहां संकल्प प्रस्तुत किया है, उनके द्वारा उठाया गया है कि आखिर उसके लिए व्यवस्था कौन सी हो।

यह बात ठीक है कि पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत उनका आरक्षण सुनिश्चित हुआ है। आज बड़ी संख्या में सभी प्रदेशों के अंदर महिलायें सरपंच हैं, जनपद की अध्यक्षा हैं, जिला परिद् या जिला पंचायतों में भी हैं लेकिन कुल मिलाकर उसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं, उनके ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, उन अधिकारियों का नियंत्रण उसमें है। उस नियंत्रण से आज भी न तो हमारे सरपंच मुक्त हैं और न ही जनपद अध्यक्ष मुक्त हैं। जब तक प्रशासनिक अधिकारियों का नियंत्रण समाप्त नहीं होगा, व्यावहारिक रूप में नियंत्रण समाप्त है, अधिनियम के अन्तर्गत भी समाप्त है लेकिन जिस प्रकार से वे प्रशासनिक व्यवस्था में दखल देते रहे थे, उसी तरह आज भी उनका दखल यथावत है। इसलिए इन व्यवस्थाओं को ठीक करने की दृटि से ग्राम सभायें समय पर हों, वे ठीक ढंग से व्यवस्थित हों, केवल सरपंच, अपने पक्ष के कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर लेकर यह प्रदर्शित करना कि ग्राम सभा हो चुकी है और हमने निम्न प्रस्ताव पारित किये हैं, उससे काम नहीं चलेगा। इसे भी देखा जाना चाहिए और उसके लिए किसी न किसी प्रकार की मौनीटरिंग व्यवस्था प्रारंभ में हो बाद में कोई आवश्यकता नहीं है, पहले यह आवश्यक है कि इस प्रकार की मौनीटरिंग उसके लिए सुनिश्चित की जाये।

मैं अधिक लम्बी बात न करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी योजनायें हैं, उन योजनाओं की उपयोगिता बहुत अधिक है। जो सुनिश्चित रोजगार की आश्वासन योजना है, इम्पलायमेंट गारंटी स्कीम है, उसमें पैसा बहुत जाता है। केन्द्र सरकार उसके लिए बहुत पैसा देती है लेकिन कई बार हमारी राज्य सरकारें उसे खर्च ही नहीं कर पातीं। उस तरह का प्रावधान नहीं कर पाती। कई बार वे योजनाओं जैसी क्रियान्वित होनी चाहिए वैसी नहीं होती। इसलिए यहां पर माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं कि ऐसी योजनाओं में जो रोजगार से संबंधित हैं, ग्रामीण विकास से संबंधित हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की योजनायें देकर वहां की उन्नति में सहायक हो सकती हैं, उनमें कहीं न कहीं जन-प्रतिनिधियों की जिनमें विधायक भी हो सकते हैं, सांसद भी हो सकते हैं, किसी न किसी प्रकार की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए तभी हम इसे व्यावहारिक रूप में ठीक कर पायेंगे और इसका लाभ उठा पायेंगे। मैं इस प्रस्ताव का इस रूप में समर्थन करते हुए मैंने जो बातें इसकी उपयोगिता के संबंध में प्रारंभ में कही हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की दृटि से, आवश्यकता अभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दृटि से जो लाभार्थियों की दृटि से हितग्राही है, उनकी पहचान करने की दिशा में इन ग्राम पंचायतों की व्यवस्था बहुत आवश्यक है, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति जी, सदन के संसदपटु और ग्रामीण विभाग के बारे में जानकारी रखने वाले संसद सदस्य श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी पंथ प्रधान थी, उस वक्त ग्रामीण विभाग में केन्द्र का हिस्सा 17 प्रतिशत था।

जब सम्माननीय राजीव गांधी आए, उस वक्त केन्द्र से 22 प्रतिशत हिस्सा गया। जब श्री वी.पी. सिंह आए और श्री दंडवते अर्थ मंत्री बने, उस वक्त 50 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण विभागों में गया। उस वक्त ग्रामीण विभाग स्कूल बना लेते थे। ग्रामीण विभाग के मंत्री को सब मालूम है। देश का पैसा ग्रामीण विभाग में देकर बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ग्रामीण विभाग में जो कार्यक्रम चलता है, वह ठीक ढंग से नहीं चलता। वहां जो मीटिंग होती है, उसमें सिर्फ 2-4 लोग ही आते हैं और सारा काम सैक्रेटरी कर लेते हैं। वहां की पंचायत नागरिकों को सुविधाएं प्राप्त करवाने वाली बड़ी संस्था होती है। वह आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करवाने वाली सहकारी संस्था होती है। जब ये दोनों संस्थाएं ठीक चलेंगी तब काम भी ठीक से होगा।

15.31 बजे (डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय पीठासीन हुए)

एक बार मैं एक ग्राम सभा में उपस्थित हुआ। मैंने देखा कि वहां सिर्फ पांच लोग ही आए हुए थे। सभा हो गई लेकिन फिर भी लोग नहीं आए और सब काम ग्राम सेवक ने निपटा लिया। यह ठीक नहीं है। उसे ठीक ढंग से चलाने के लिए ग्राम सभा को ज्यादा महत्व देना चाहिए। उसमें सख्ती करनी चाहिए। ग्रामीण विभाग में यह

संस्था बहुत महत्वपूर्ण हे।

आपने वितरण के बारे में कहा। ग्रामीण पंचायत वितरण के बारे में भी व्यवस्था करती है। कौन लोग दरिद्रता से नीचे हैं, यह भी देखती है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जिसके पास ट्रैक्टर या ट्रक है, वह भी दरिद्रता के नीचे की श्रेणी में आ जाता है। इस बारे में भी सोचना चाहिए। ग्रामीण विभाग को सुधारना चाहिए। अर्थ मंत्री जी बैठे हुए हैं। ग्रामीण विभाग के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहिए, यही मेरी विनती है।

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : सभापति महोदय, भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन योजना को सार्थक बनाने हेतु, लोकतंत्र की प्रारंभिक इकाई ग्रामीण पंचायत या ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों के चयन को सुनिश्चित करना, यह प्रस्ताव इस माननीय सदन के माननीय सदस्य डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने प्रस्तुत किया है। मैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। गरीबों के संबंध में, उनके हित में डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम उनका धन्यवाद करना चाहूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा। उन्होंने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए बड़े विस्तार से अपनी बात कही है। मैं उसके अधिकांश भाग से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए कुछ बिन्दुओं तक ही अपनी इस चर्चा को सीमित रखूंगा।

महोदय, जहां तक ग्राम सभा का संबंध है, एक बार नहीं, अनेकों बार यह कहा गया है क्योंकि ग्राम सभा अराजनैतिक है। इसलिए लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा करे तो उचित रहेगा, भले ही चाहे मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हो और भले ही प्रांतीय सरकारें हों। जब बार-बार इस बात की चर्चाएं हुई हैं और बार-बार इस बात को कहा गया है लेकिन सर्वसाधारण की ग्राम सभा में उपस्थिति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है जो कि चिंता का विाय है। इस बात को जानना आवश्यक हो गया है कि इस कम उपस्थिति होने के क्या कारण हैं? क्या लोगों की रुचि कम हो गई या मतदाताओं को सूचना नहीं मिलती? कौन से इसके कारण हैं? यह जानना अति आवश्यक है। दो दिन पूर्व इसी माननीय सदन में शिवराज सिंह चौहान जी ने इंदिरा आवास योजना को लेकर आधे घंटे की चर्चा उठाई और जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज कुछ भी करने में उनका मंत्रालय या भारत सरकार बिल्कुल असहाय है। भले ही चाहे पैसा केन्द्र से जाता है और अगर उसका सदुपयोग प्रान्तीय सरकारें न करें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। वह मूक दर्शक बनकर बैठी ही रहेगी, यह अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि जब पैसा केन्द्र से जाता है तो मुझे लगता है कि सरकार को कुछ न कुछ इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए जिससे इस पैसे का सदुपयोग हो।

यह सही है कि प्रान्तीय सरकारों ने निर्देश दिये हैं कि चयन ग्राम सभा करे लेकिन ग्राम सभा की नियमित रूप से बैठक हो, इसे कौन सुनिश्चित करेगा? वैसे तो यह कहा गया है कि हर ग्राम सभा वर्ा में कम से कम दो बार मिले, यू तो चार बार मिलना चाहिए। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब पंचायतों को इसी माननीय सदन ने एक संवैधानिक दर्जा दिया है तो आज क्यों नहीं यहां अमेंडमेंट लाते? क्यों नहीं संविधान में अमेंडमेंट लाते कि वर्ा में कम से कम दो बार ग्राम सभा की बैठक बुलानी अनिवार्य है और जो ग्राम पंचायत इसमें असफल हो जाये तो उस पंचायत को ही भंग कर देना चाहिए। मैंने आरम्भ में कहा कि हमें इसके कारण जानने चाहिए कि क्या लोगों की रुचि कम हो गई या लोगों को समय रहते कुछ स्वार्थी लोग सूचना नहीं देते?

ग्राम सभा के लिए जो कोरम रखा गया है, आज जो प्रावधान है, वह कुल मतदाता का बीस प्रतिशत रखा गया है और पोस्ट पोंड मीटिंग में केवल दस प्रतिशत है और उसके बाद पोस्ट पोंड मीटिंग में कोरम पुरा नहीं हुआ तो जो उपस्थिति होती है, वह सारा चयन कर देती है। इसीलिए कुछ स्वार्थी लोग पंचायत या सरपंच या कभी-कभी ऐसा भी हो रहा है कि जान-बूझकर ऐसा सुनिश्चित करते है कि ग्राम सभा आये ही नहीं ताकि अपने ही चहेतों का चयन कर सके। ग्राम सभा को बुलाना मात्र औपचारिकता है। आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर चुने हुए लोग चाहें तो क्या कम से कम मतदाता के 25 प्रतिशत लोगों को इकट्ठा करने में सक्षम नहीं है? क्या कम से कम अपने मतदाता को सूचित करें तो उनको इकट्ठा नहीं कर सकते? इसलिए मैं पुन: दोहराऊंगा कि इस बात की आवश्यकता है कि संविधान में आज इस प्रकार का संशोधन लाया जाये कि जो पंचायत, ग्राम सभा न बुला सके उस ग्राम सभा को ही भंग कर दिया जाये। ऐसा करने से निश्चित तौर पर ग्राम पंचायतों का पंच या सरपंच इस कोशिश में जुटेगा कि ग्राम सभा में लोगों की उपस्थिति हो और यह भी सुनिश्चित कर देना चाहिए कि जब तक ग्राम सभा का 25 प्रतिशत मतदाता जिस ग्राम सभा में उपस्थित न हो वहां जो चयन होता है, उस चयन को मान्यता न दी जाये। यह भी आवश्यक है कि इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि ग्राम सभा को आर्काक कैसे बनाया जाये? आज जितनी भी गरीबी उन्मूलन योजनाएं भारत सरकार की हैं, उन सब योजनाओं का चाहे विकास कार्य हो, उसका चयन भी ग्राम सभा में होना चाहिए। इसी तरह जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य गांव में बसे हुए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना था लेकिन जब भी यह पैसा सीधा पंचायतों को जाता है तो अधिकांश योजनाओं को ठेके पर दिया जाता है और स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता। उसका अधिकांश हिस्सा जिला परिाद के माध्यम से देते हैं लेकिन कुछ पैसा सीधा ग्राम सभा को भी जाता है। क्या कभी ग्राम सभा से पूछा जाता है कि कौन सा विकास कार्य इसमें लिया जाये? इसी प्रकार जो ई. ए. एस. का पैसा जाता है, उसका उद्देश्य था कि जो खेतिहर मजदूर है,â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस संकल्प पर जो समय निर्धारित किया गया है, वह समय पूरा हो रहा है। अभी भी कुछ माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं। यदि सदन सहमत हो तो इसका समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाये।

SHRI E. AHAMED (MANJERI): May I submit that the next Resolution is to be moved?

MR. CHAIRMAN : That motion is yours.

SHRI E. AHAMED : I hope that this is the last day of this session.

MR. CHAIRMAN: We have extended the time by one hour more.

श्री महेश्वर सिंह : मैं कह रहा था कि एम्पलॉयमेंट जनरेशन स्कीम का उद्देश्य क्या था? जो उस पंचायत में रहने वाले खेतिहर मजदूर है, जब उसकी फसल का काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी उसे रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या कभी इस बात की जानकारी ली गई कि क्या वाकई पंचायत के जो खेतिहर मजदूर है, उन्हें रोजगार सुनिश्चित किया जाता है या नहीं? यह काम भी ठेके पर किया जा रहा है क्योंकि ग्राम सभा की कहीं भागीदारी नहीं है कि कौन से काम का चयन किया जा रहा है, उसकी चिंता नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सही मायने में यदि ई. एंड एस. का प्रोग्राम चलाना है तो अधिक से अधिक पैसा देना होगा। यह रिकार्ड देख सकते हैं कि पिछले साल हिमाचल जो छोटा प्रांत है, उसे 25 करोड़ रुपया दिया गया था। लेकिन क्या किया गया क्योंकि जनसंख्या आधार कर दी गई। इसलिए पैसे में इतनी कटौती कर दी कि केवल इस साल पांच करोड़ मिल रहा है। कहां पच्चीस करोड़ रुपया और कहां पांच करोड़ रुपया? क्या इस प्रकार से जो गांव में गरीब बैठा है, उसे रोजगार मिल सकेगा? इन कार्यक्रमों को ज्यादा आकर्ति बनाना चाहिए। इसलिए यह भी आवश्यक है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि ग्राम सभा में कम से कम बी.डी.ओ. उपस्थित हो। यह आवश्यक नहीं है कि सारी पंचायतों की ग्राम सभाएं इकट्ठी बुलाई जायें। चरण बद्ध तरीके से भी काम किया जा सकता है और ऐसा होना चाहिए कि पट्वारी भी वहां जाये। विधवा पेंशन, अपंग पेंशन तथा बुढ़ापा पेंशन के लिए जिन लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए घूमना पड़ता है, ग्राम सभा में उस क्षेत्र का डाक्टर भी उपस्थित रहे तब वह ठीक होगा जिससे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी वहां हो सकता है। पट्वारी उनकी इंकम का सर्टिफिकेट दे सकता है तभी यह कार्य सफल होंगे नहीं तो ऐसा हो रहा है कि अपने चहेतों के चयन का नाम ही ग्राम सभा है और ऐसा कहा जाता है कि " अंधा बांटे रेवड़ी, मुड़-मुड़ अपने को देय। " बाद में लोग कहते रहते हैं कि गलत चयन हो गया।

इंदिरा आवास योजना की चर्चा हुई है, उसमें कुल कितना पैसा दिया जाता है? उससे किस गरीब को लाभ होगा? पहाड़ी क्षेत्रों में 22000 रुपया और मैदानी क्षेत्रों में 20000 रुपया दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जवाब देते हुए यह कहा जाता है कि यह पैसा नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर मैटीरियल कॉस्ट भी पूरी नहीं हो सकती तो वह गरीब कहां से मैटीरियल खरीदेगा? एक मकान बनाने के लिए कम से कम डेढ़ ट्रक ईटों का लगेगा और कम से कम 16000 रुपया ईटों का चला जाएगा। पांच हजार रुपये का सरिया लगेगा। बीस हजार रुपया खत्म हो गया और बाकी जो सीमेंट है, रेत है, बजरी है, उसका खर्च कहां से गरीब लाएगा? यह भी सही है कि सही लोगों का चयन नहीं होता क्योंकि पंचायत भी जानती है कि गरीब तो बना ही नहीं सकेगा। जब मैटीरयल कंपोनेंट की कीमत पूरी नही करेगा तो फिर कहां से काम होगा? लेबर कंपोनेंट तो वह करेगा लेकिन मैटीरियल कंपोनेंट तो दीजिए, इसलिए उस पैसे को बढ़ाइए। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि योजनाओं की संख्या में वृद्धि करके लोगों का लाभ नहीं होगा। कितनी योजनाएं चली हैं। एक होते-होते नयी योजना चल पड़ी जिसे ग्राम उदय योजना कहते हैं, उसमें भी आवास सुविधा का प्रावधान है। कुछ प्रांतीय सरकारों ने गांधी कुटीर योजना चलाई है। इतनी योजना बढ़ाने का क्या मतलब है?

एक योजना रखिए, ताकि गरीबों का घर बन सके और सुनिश्चित हो सके कि गरीब को लाभ मिलेगा तथा वह ग्राम सभा में उपस्थित होगा।

महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और माननीय सदस्यों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, मैं धन्यवाद देता हूं। जहां मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, वहीं मैं माननीय सदस्य रघुवंश प्रसाद जी को भी धन्यवाद देता हूं, वे जब भी सदन में बोलते हैं, तो गांवों के प्रति उनके मन में पीड़ा होती है। उनकी इस भावना का मैं समर्थन करता हूं। हां, कुछ बातें वे भावावेश में कह जाते हैं, जिनका मैं समर्थन नहीं कर सकता। इन्ही शब्दों के साथ पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, मैं भी माननीय सदस्य रघुवंश प्रसाद जी ने जो प्रस्ताव सदन में विचार करने के लिए रखा है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, ग्राम सभा गांव के विकास की जड़ है। ग्राम सभा का यदि विकास हो गया, तो मैं समझता हूं कि देश का विकास हो जाएगा। मैं जब भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में जाता है, 50 वर्ा बीत जाने के बाद भी कहीं कोई विकास नजर नहीं आता है। सड़कें टूटी हुई हैं, रोशनी का इंतजाम नहीं है। कई गांव तो ऐसे हैं, जहां आज तक भी एक बल्ब नहीं जला है। मेरे जयपुर संसदीय क्षेत्र में ऐसे कई गांव हैं, जहां न सड़कें हैं, न बिजली है और न बल्ब जला है। अब देश का विकास कैसे हो गया, यह समझ में नहीं आता है। विधान सभा में ताली बज गई या लोकसभा में ताली बज गई, लेकिन वास्तव में देखने को मिलता है कि गांव का विकास बिल्कुल जीरो हुआ है। सारे का सारा पैसा लोक सभा के सांसदों के बंटवारे में चला गया या विधान सभा के बंटवारे में चला गया। मुझे इस बात को कहने के लिए क्षमा करेंगे, देश में पांच वर्ा तक चुनाव न हों और गवर्नर महोदय काम करें या राट्रपति महोदय काम करें, विधान सभा और लोकसभा न हो, तथा उस पैसे का उपयोग गांवों के िवकास में हो, तब जाकर कुछ विकास हो सकता है, वरना विकास नहीं हो सकता है। मुझे मालूम है, मेरी यह बात कटु लगेगी, लेकिन यह सत्य है।

इसी प्रकार से ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिद् बनती है। कई प्रकार की योजनायें राजस्थान और भारत सरकार ने प्रारम्भ की हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता है। आपने कहा था कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में तय हुआ था कि ग्राम सभाओं को और अधिकार दिए जाने चाहिए, लेकिन वे अधिकार आजतक नहीं दिए गए हैं। चाहे मकान की समस्या हो, चाहे पढ़ाई की समस्या हो, चाहे दवाइयों की समस्या हो और अन्य समस्यायें हों, मुझे यह कहते हुए हर्ा हो रहा है कि ग्राम सभा वास्तव में विधान सभा है, क्योंकि ग्राम सभा में प्रस्ताव पास होता है कि यह काम होना चाहिए और समस्याओं का निदान होता है तथा पैसा मंजूर होता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि विधान सभाओं का औचित्य नहीं है और संसद का भी कहीं पर कोई औचित्य नहीं है। ग्राम सभा ही एक प्रकार से विधान सभा है और संसद है। संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया गया। इसके बाद सरकार ने कई योजनायें बनाईं, इंदिरा आवास योजना बनी, जवाहर योजना बनीं और इन योजनाओं के माध्यम से पैसा खर्च किया गया। । आपने स्वयं कहा है कि पैसा सरपंच के माध्यम से खर्च होता है। सरपंच ठीक प्रकार से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको भी देखा जाना चाहिए। आपने स्वंय एक तालाब का उदाहरण दिया। तालाब बनने के बाद जब आपने स्वयं वहां जाकर देखा, तो खड्डा मिला, तालाब नहीं था। इसलिए इस विाय पर भी विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, इसी प्रकार बीडीओ जनप्रतिनिधियों की अवहेलना करता है। वह जनप्रतिनिधियों की खातिर नहीं करता है। वह कहता है, प्रस्ताव दे दीजिए, कौन सी योजना ग्राम सभा चाहती है या नहीं चाहती है, वे देख लेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरपंच के काम का भी आडिट होना चाहिए। भारत सरकार से पैसा राज्य सरकार को समय पर मिल जाए और उस पैसे का ठीक प्रकार से उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, इस संबंध में भी विचार किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने जो खर्चा किया है, उस खर्चे का भी आडिट समय-समय पर होना बहुत जरूरी है। जहां तक ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का प्रश्न है, यह मीटिग भी एक साल में चार बार बुलाई जानी चाहिए। मीटिंग नहीं बुलाने से कई प्रकार की दिक्कतें पैदा होती है। न तो एमएलए को सूचना होती है और सांसद बेचारा दिल्ली में बैठा रहता है, उस गरीब को तो यह भी नहीं मालूम कौन सी योजना पर सरपंच ने काम ठीक किया। इसलिए ग्राम की योजनाओं की जानकारी एमएलए और सांसद को दी जानी चाहिए। उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

यहां पेंशन के तरीके के बारे में कहा गया। पेंशन का तरीका आज भी वही का वही है। एक औरत 80 साल की हो गई, उसके लिए कहा जाता है कि वह जीवित भी है या नहीं, जब कि उसकी फोटो मौजूद है और वह खुद मौजूद है। उससे कहा जाता है कि तुमने दूसरी शादी तो नहीं कर ली है। क्या 80 साल की औरत दूसरी शादी करेगी। 80 साल की औरत ने दूसरी शादी की या नहीं की, वह जीवित है या नहीं, उसका प्रमाण-पत्र चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बहुत बेहूदा कानून है। इस कानून को जिन-जिन राज्य सरकारों ने अपना रखा है, उसे आप समाप्त करें।

महोदय, यह लाल कार्ड बनेगा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 70 प्रतिशत लोग आज भी अनपढ़ हैं। सरकार लाख योजना बना ले, गांव चलो या स्कूल चलो अभियान चला ले, लेकिन मैं समझता हूं कि उसकी व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। भारत सरकार ने जो पैसा दिया, राजस्थान सरकार ने उसका सदुपयोग स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर किया। राजीव गांधी के नाम की पाठशालाएं खोली गईं, उससे कई भवन बन गए और भवन बन जाने के बाद यह कहा गया कि दसवीं क्लास पास व्यक्ति को राजीव गांधी पाठशाला का हैड मास्टर बना दो। दसवीं क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति राजीव गांधी पाठशाला का हैड मास्टर बन गया तो वह क्या शिक्षा देगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम जब ग्रामसभा को सशक्त बनाएंगे तभी इस देश का विकास हो सकता है, अन्यथा कई प्रकार की योजनाएं लागू हो जाए तब भी कुछ नहीं होगा। अगर गांवों का विकास नहीं हुआ तो देश का विकास नहीं हो सकेगा। हमारे भाई रघुवंश जी कई बार अच्छी-अच्छी बातें जोश में कह देते हैं। मैं उन्हें फिर से धन्यवाद देता हूं। वह अच्छा प्रस्ताव लाए हैं, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का सिर्फ स्वागत ही नहीं करता, बल्कि मैं रघुवंश जी को धन्यवाद भी देता हूं, जिन्होंने यह संकल्प सदन में पेश किया है। अगर हम सही मायनों में देश में जम्हूरियत को मजबूत करना चाहते हैं तो यह आवश्यक होगा कि बिलकुल नीचे गांव और शहर में ग्रास रूट लेवल पर भी जम्हूरियत की मान्यताओं को मजबूत करना चाहिए। इसी के मद्देनजर 73वे और 74वें जो संशोधन हुए थे, उसमें अनुसूची 11 में 29 मुद्दे ऐसे लिखे गए हैं और अनुच्छेद 243-जी के तहत यह कहा गया है कि अपनी-अपनी पंचायतों के लिए योजनाएं बनाना और उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अधिकार दिए जाने चाहिए। पिछले बहुत वर्ाों से हमारी जो भावना थी वह संविधान के अनुरूप है। अफसोस इस बात का है कि अभी तक भी उस पर हमारी जो मनोवृत्ति बदलनी चाहिए थी, वह नहीं बदली है। हम एक तरफ तो पंचायतों को अधिकार देने की बात करते है, यह कहते हैं कि लोगों के हाथ में सत्ता हो । बहुत से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं। शायद यहां के योजना भवन के एयर कंडीशन कमरों में बैठे लोगों को मालूम न हो कि गांवों में लोगों की जरूरत क्या है। इसलिए वहां उन्हें यह अधिकार दिए जाएं। देखने में यह आता है कि ऐसा नहीं हुआ। लोगों की भावनाएं जो हैं और उनकी मुश्किलाते हैं, उन्हें जाहिर करने के लिए जो यह संकल्प लाया गया है, यह

सचमुच में ही बहुत सराहनीय है।

महोदय, एक बहुत छोटे से मुद्दे का जिक्र किया है। सार्वजनिक प्रणाली में यह देखने में आया है कि जो लोग अपना राशन कार्ड बनाना चाहते हैं, वे आसानी से नहीं बनवा पाते। उन्हें एक आफिसर के पास नहीं, बल्कि कई आफिसरों के पास धक्के खाने पड़ते हैं। उनके दरवाजे खट-खटाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें राशन कार्ड प्राप्त नहीं हो पाता।

राशन कार्ड का कितना उसको फायदा है, कितना नहीं है, यह तो एक अलग बात है। लेकिन इन अधिकारों के लिए भी पंचायत समिति, ग्राम-सभा या जिला परिद् के चुने हुए लोगों के जो नुमाइंदे हैं, उनकी कोई पूछ न हो, तो यह अफसोस की बात है। बहुत से मुद्दों का यहां जिक्र किया गया है जिसमें उनके पास अधिकार होने चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारी जो प्रणाली है उसको आसान बनाने के लिए विकेन्द्रीकरण करने की बहुत जरूरत है।

मैं जिस जगह से आता हूं वहां बहुत गांव तो नहीं हैं लेकिन जितने हैं वहां भी कोई काम आसानी से नहीं होता है। उनको फंड आसानी से नहीं मिल पाता है। उदाहरणार्थ, गांवों की सफाई का काम पंचायतों पर छोड़ा गया है। वे अपनी मर्जी से सफाई कर्मचारी रख सकते हैं और उनकी तनख्वाह दी जाती है। लेकिन सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके प्रोजैक्ट्स को क्लीयर नहीं किया जाता है और तनख्वाह देने के लिए भी उनको पैसा नहीं मिलता है।

शैड्यूल्ड 11 में 29 मुद्दे लिखे हुए हैं। अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि ग्राम-स्वराज्य आये तो हमें उनको ये अधिकार देने चाहिए और हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए कि वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय में हमारे साथ भागीदार होंगे।

साथ ही साथ बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लाभ की स्कीमों में ग्राम सभा को अधिकार होना चाहिए और इनमें उनका रोल होना चाहिए।

अंग्रेजी का एक शब्द है हाउस-ट्रेनिंग और एक शब्द है गौन-नेट्रिव। यह इंग्लैंड की प्रणाली से लिये गये शब्द हैं। कोई स्कीम हम यहां से बनाते हैं लेकिन अफसर का माइंड इस तरह से सेट होता है कि उसके हाथ से कोई अधिकार न छिन जाए। वह मंत्री जी को इसके लिए तैयार कर ले कि वह जैसा चाहता है वह मान जाएं तो इसको वहां हाउस-ट्रेनिंग कहा जाता है लेकिन अगर अफसर के मुताबिक ही मिनिस्टर सोचना शुरू कर दे तो उसको गोन-नेट्रिव कहते हैं। हमारे बहुत से मंत्री "गोन-नेट्रिव " हैं। जो ऑफिसर चाहते हैं वह बात ये पूरा कर देते हैं। कानून क्या है, उसकी परवाह नहीं। लेकिन छोटे-छोटे मसले गरीब लोगों के हल नहीं होते। अगर टाइम फिक्स किया कि तीन बजे जाना है तो तीन बजे ऑफिसर नहीं मिलता है। अगर इस तरह से गरीब आदमी को धक्के खाने पड़ें तो हमें संविधान में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम सही माने में अपनी लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि यह ग्राम सभा के रोल के बिना नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : आदरणीय सभापति जी, ग्रामीण लोगों को ज्यादा अधिकार देने के बारे में जो महत्वपूर्ण और गंभीर बहस चल रही है, उस पर आपने मुझे भी कुछ बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

हमारे भाई माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने इस मुद्दे को हमारे सामने लाकर बहस करने के लिए जो हमें मौका दिया, इसके लिए मैं उनका आभार मानता हूं।

16.00 hrs.

मैं उत्तर भारत के बोडोलैंड से एम.पी. चुन कर आया हूं। वहां के लोगों की पंचायती राज सिस्टम के बारे में जो सोच है, मैं उसकी एक त्स्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्तर भारत ट्राइबल लोगों का एरिया है। वहां पुराने जमाने से ट्रैड्शिनल विलेज एडमिनिस्ट्रेट्रिव सिस्टम चल रहा है और वह अभी भी चल रहा है लेकिन बड़े दुख की बात है कि ट्रैड्शिनल विलेज एडमिनिस्ट्रेट्रिव इंस्टीट्यूशन्स को अभी तक हिन्दुस्तान की सरकार ने कॉन्स्टीट्यूशनलाइज नहीं किया। उसे कॉन्स्टीट्यूशनल पावर्स जिस ढंग से देनी चाहिए, नहीं दी गई। पंचायत शब्द उत्तर भारत के लोगों के लिए अच्छा शब्द नहीं है, पापुलर शब्द नहीं है। उत्तर भारत में जितनी विलेज काउंसिल्स और एरिया काउंसिल हैं, उन्हें कॉन्स्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए और संविधान के मुताबिक दर्जा देना चाहिए। इसका मतलब है कि In place of the Panchayati System all the existing traditional village administrative units and institutions should be given adequate power. And according to their needs, powers and functions have already been given to them as per the Constitution or as per the bye-laws, rules and regulations. But what quantum of powers and functions should have been given to the Panchayati System, that much quantum of Panchayat funds have not been created.

And because of the same reason millions and millions of downtrodden villagers could not come up, up to the mark though the Government of India has been undertaking a lot of various types of schemes or projects or ideas to empower the villages. मैं अपनी तरफ यह सलाह देना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया में जितनी विलेज काउंसिल्स हैं, उन्हें संविधान के मुताबिक पंचायती राज सिस्टम का दर्जा देना चाहिए। They will be the lowest unit at the bottom level. इन्हें सैकिंड कैटेगिरी का दर्जा मिलना चाहिए। ब्लॉक लैवल पर जो रीजनल काउंसिल हैं उनसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होनी चाहिए। बोडोलैंड में यह दिक्कत हो रही है कि बोडोलैंड ऑटोनम्स काउंसिल को जो ऑटोनॉमी दी गई, यदि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पंचायती सिस्टम लागू किया गया तो there will be a lot of conflict मेरा कहना है कि बोडोलैंड ऑटोनॉम्स काउंसिल में पंचायती सिस्टम को लागू नहीं करना चाहिए। इसके बदले में जितने ट्रैड्शिनल इंस्टीट्यूशन्स हैं, उन्हें संविधान के मुताबिक अधिक से अधिक पावर्स देनी चाहिए। पंचायती सिस्टम के लिए जितना रुपया केन्द्र सरकार की तरफ से जाता है, वह वहां ठीक ढंग से लागू नहीं होता है और यूटिलाइज नहीं होता है।

इसलिये मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि विलेज और डिस्ट्रिक्ट लैवल पर पैसे का ज्यादा प्रावधान होना चाहिये नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शीश राम ओला (झुंनझुनूं): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पंचायती राज संस्थाओं पर होने वाली चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

हमारे देश में 2 अक्तूबर, 1959 को पंचायती राज लागू किया गया था। मैं राजस्थान राज्य से आता हूं जहां भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया था। मैं उस वक्त जिला परिद् का प्रमुख था। इसके माध्यम से गांव-गांव में यह संदेश और संकेत दिया गया था कि पंचायती राज से गांव का विकास होगा। उस समय पंचायती राज की प्रत्येक मीटिंग में तहसीलदार स्तर के अधिकारी शामिल होते थे और कभी कभी तो एस.डी.एम. तक आता था। उसमें पंचायत समिति स्तर के सभी अधिकारी आते थे। जिला परिद् की मीटिंग में सारी समस्याओं के समाधान के लिये जिला स्तर के अधिकारी आते थे। उसमें राज्य

तथा डि्वीजन ्स्तर के अधिकारी ्भी आते थे। जिला परि्द की मीटिंग में ्बजट पा्स करने के लि्ये राज्य ्स्तर के अधिकारी जाते थे। इस्से पंचा्यती राज ्संस्था का अच्छा अ्सर प्ड़ा और वि्कास के कई कार्य ्भी हुये। ्यहां जो प्र्स्ताव ला्या ग्या है, उ्सके माध्यम ्से रघुवंश प्र्साद सिंह ्साहब ने 75 प्रति्शत जनता की ्भलाई कै्से हो, वि्कास कार्य कि्स गति ्से आगे ्बढ़ें, उ्सके लि्ये ्सराहनी्य कार्य कि्या है। उन्होने अपने प्र्स्ताव में ग्राम ्सभाओं को मज्बूत ्बनाने के लि्ये ्बात कही है। मैं इ्स प्र ्स्ताव का ्समर्थन करता हूं।

्सभापति महोद्य,मैं ्सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि ग्राम ्सभाओं का जो ्स्वरूप पहले था अर्थात् ग्राम ्सभा, पंचा्यत ्समिति, जिला परि्द के पा्स जो ताकत थी ्या जो अधिकार थे, वे अ्ब प्रा्यः ्समाप्त हो ग्ये हैं। उ्स ्सम्य के ्स्कूलों में टीच्र्स की नि्युक्ति का अधिकार जिला परि्द को होता था जि्समें डि्स्ट्रिक्ट इ्स्टे्बलि्शमेंट कमेटी होती थी। उ्सका चे्यरमैन ्स्टेट ले्वल का कमि्श्नर होता था जो टीच्र्स, ्बा्बू, ग्राम ्सेवक का ्सेलेक््शन कि्या करता था लेकिन आज ्स्थिति बिलकुल भि्न्न हो गई है। हम लोग आज ज्यादा अधिकारों की ्बात करते हैं। ्यदि उ्स ्सम्य मीटिंग में जिला परि्द, पंचा्यत ्समिति में जिला, राज्य अथ्वा डि्वीजन ्स्तर का कोई अधिकारी नहीं आता था तो उ्सके खिलाफ एक््शन होता था परन्तु आज कोई पूछता नहीं है। आज जिला परि्द, पंचा्यत ्समिति की मीटिंग में कोई अधिकारी नहीं आता। ग्राम ्सभा की मीटिग में कि्सी अधिकारी के आने का ्स्वाल ही नहीं उठता। इ्सलि्ये मैं आपके माध्यम ्से ्सरकार ्से अनुरोध क्रूंगा कि ्सरकार इ्स ्बात को ्सुनि्श्चित करे कि चाहे जिला परि्द की मींटिंग हो, चाहे पंचा्यत ्समिति की मीटिंग हो, उ्समें पहले की तरह ्स्टेट ले्वल अथ्वा डि्वीजन ले्वल का अधिकारी आ्ये।

पंचा्यत ्समिति में आने ्वाले पंचा्यत ्समिति में आ्ये, ग्राम पंचा्यत में आने ्वाले ग्राम पंचा्यत में आ्ये, ताकि ्सम्स्याओं का ्समाधान ्वहीं हो ्सके। मेरा दू्सरा नि्वेदन ्यह है ...

्सभापति महोद्य : अ्ब आप ्समाप्त कीजिए। इ्से 16:40 पर ्समाप्त करना है।

श्री ्शी्श राम ओला : ्सभापति महोद्य, मुझे दो मिनट और दे दीजिए। मैं इ्स पर ्बहुत ्बोलना चाहता था, आपका हुक्म है, अ्ब मैं ज्यादा नहीं ्बोलूंगा, मैं इ्से जल्दी खत्म कर दूंगा। मैं नि्वेदन कर रहा था कि ्यहां ्सार्वजनिक प्रणाली की ्बात कही गई, रा्शन कार्ड की ्बात कही गई। पहले ग्राम ्सेवक रा्शन कार्ड ्बनाता था। आज डि्स्ट्रिक्ट स्प्लाई ऑफि्सर ्बनाता है। गां्व ्वालों का जो काम आ्सानी ्से होता था,्वह आज ्वापि्स ्सरकार को दे दि्या ग्या है। पा्वर को जहां डी्सैंट्रलाइज कर दि्या ग्या था, ्वहां आज फिर ्से ्सैंट्रलाइज कर दि्या ग्या है। ्यह रा्ट्र की 75 प्र्सेन्ट आ्बादी ्से ्संबंधित मामला है। इ्सलिए इ्से ्बहुंत गं्भीरता ्से लि्या जाना चाहिए और इ्स पर ्सरकार गौर करे कि जो पहले अधिकार थे, उन्से ज्यादा अधिकार मिलें। पंचा्यत ्समिति और जिला परि्द को ्स्शक्त ्बना्या जाए।

्सभापति महोद्य, मैं एक छोटा ्सा उदाहरण देना चाहूंगा। एक प्रधान ने अपने एक््सटें्शन ऑफि्सर ्से कहा कि मुझे अमुक कागज के ्बारे में जानकारी दीजिए। उ्सने कहा कि लिखकर दे दो। प्रधान ने लिखकर दे दि्या। उ्सका नतीजा ्यह हुआ कि एक््सटें्शन ऑफि्सर ने ्वापि्स लिखकर दे दि्या कि हम अपने वि्भाग को जानकारी दे ्सकते हैं, आपको नहीं देंगे। प्रधान पंचा्यत ्समिति का चे्यरमैन होता है। प्रधान को अगर उ्सका एक््सटें्शन ऑफि्सर ्यह लिखता है तो पंचा्यती राज कै्से चल ्सकता है। मैं आपके माध्यम ्से ्सरकार ्से नि्वेदन क्रूंगा, हालांकि ्सम्या्भा्व के कारण मैं ज्यादा नहीं ्बोल पा रहा हूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि पंचा्यत राज को ्स्शक्त ्बना्या जाए, जि्स्से ग्रामीण वि्कास को गति मिल ्सके। धन््यवाद।

डा. रामकृ्ण कु्समरि्या (दमोह) : माननी्य ्सभापति जी, जो प्र्स्ताव रघुवंश जी ला्ये हैं, मैं उन्हें ्बहुत-्बहुत धन््यवाद देता हूं और आपने मुझे ्बोलने का ्सम्य दि्या उ्सके लिए मैं आपको ्भी धन््यवाद देता हूं। मान््यवर, ग्राम ्सभा गां्व की एक गैर राजनीतिक ्सभा है। â€¦(व्यवधान)

श्री रामदा्स आठ्वले (पंढरपुर) : ्सभापति महोद्य, ्यह ्बहुत महत्वपूर्ण वि्य है, हमें ्भी इ्स पर ्बोलने का मौका दि्या जाए।

MR. CHAIRMAN : There is no time at all. The Hon. Minister has to reply and Dr. Raghuvansh Prasad Singh also has to say something.

डा.रामकृ्ण कु्समरि्या : ग्राम ्सभा को मज्बूत करना अत्यंत आ्व्श्यक है। इ्सलिए जो ्वहां पर चुने हुए ्सरपंच हैं तथा अन्य लोग हैं, ्वे मनमाने ढंग ्से अपने चहेते लोगों को ्शा्सकी्य ्योजनाओं का फा्यदा दिलाते हैं। इ्सलिए ग्राम ्सभा को मज्बूत करना आ्व्श्यक है।

्सभापति महोद्य, मध्य प्रदेश में ग्राम ्सभा और पंचा्यत राज अधिनि्यम की धज्जि्यां उड़ाई गई हैं। ्वहां एक जिला ्सरकार ्बनाई गई है। ्वहां जो ग्राम ्सभा के अधिकारी थे, जो ग्राम ्सभा को प्र्स्ताव देते थे और ग्राम ्सभा की कार्य ्योजना ्बनाते थे, ्वह ग्राम पंचा्यत जनपद पंचा्यत को देती है। जनपद पंचा्यत जिला पंचा्यत को देती है। लेकिन इन्होंने प्रभारी मंत्री की नि्युक्ति करके उ्सके द्वारा कार्य नि्पादन करने के ्सारे अधिकार केन्द्रित करने के ्बाद ग्राम ्सभा, ग्राम पंचा्यत, जिला पंचा्यत और जनपद पंचा्यत के ्सारे अधिकारों को हनन कर दि्या है। मध्य प्रदेश में श्री दिग्वि्जय ्सिंह ने पंचा्यत राज का मखौल उ्ड़ा्या है। इ्सलिए मैं आप्से वि्शे ्रूप ्से नि्वेदन करना चाहता हूं कि ग्राम ्सभाओं की ताकत को ्बहाल करने के लिए ्यहां ्से कार्र्वाई हो। केन्द्र ्सरकार ्से जो ्शा्सकी्य ्योजना प्रसारित हो रही हैं, उनका ला्भ ्वहां के गरी्ब लोग तथा ग्रा्स ्रूट के लोग उठा ्सकें। इ्सके लिए ग्रा्स ्रूट ले्वल पर एक ही ्संस्था ग्राम ्सभा है, उ्से ताकत्वर ्बना्या जाए। ्यही नि् वेदन करते हुए मैं अपनी ्वाणी को वि्राम देता हूं। धन््यवाद।

श्री ्सुरे्श रामरा्व जाध्व (परभनी) : ्सभापति जी, मैं अपनी ओर ्से और अपनी पार्टी श्वि ्सेना की तरफ ्से डॉ.रघुवंश प्र्साद सिंह का ्बहुत आ्भारी हूं कि उन्होंने ्यह प्र्स्ताव - गरी्बी उन्मूलन में ग्राम ्सभा की ्भागीदारी - ्सदन के ्सामने रखा।

हमारा ्भारत देश छोटे-छोटे गां्वों का देश है। एक ्बार महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हमारे देश का वि्कास करना है तो देहात की ओर चलो। हमको आज आज़ादी मिले 53 ्साल हो गए लेकिन अ्भी ्भी हम देहात में 80 फी्सदी रहने ्वाले लोगों का वि्कास नहीं कर पाए हैं। इ्सका एक ही कारण है कि चाहे केन्द्र ्सरकार की ्स्कीम हो, राज्य ्सरकार की ्स्कीम हो ्या जिला परि्द ्स्तर की, तह्सील ्स्तर की ्स्कीम हो, अ्भी तक हमने उ्समें देहात के वि्कास के ्बारे में ्बात नहीं की और ग्राम ्सभाओं को कुछ अधिकार नहीं दि्या ग्या है। देश के जो 80-90 फी्सदी लोग ग्रामीण देहातों में झुग्गी-झोंप्ड़ि्यों में रहते हैं, जिन तक ्योजना का पै्सा ही नहीं पहुंचता है तो हम देश का वि्कास कै्से कर पाएंगे, और ज्ब तक इन लोगों का वि्कास नहीं होगा, त्ब तक हमारे देश का वि्कास कै्से होगा ्यह एक ब्ड़ा प्र्श्नचिह्न हमारे ्सामने है। जो ग्राम ्सभाएं हैं इनको कुछ ठो्स अधिकार देने की ज्रूरत है। इनको कुछ ऐक्ज़ी्क्यूटि्व पॉ्वर देने की ज्रूरत है और ्यह ्भी देखना ज्रूरी है कि एक ग्राम ्सभा में अगर प्र्स्ताव पारित होता है तो ्वह ्ब्लाक ्स्तर पर चला जाता है, तह्सील ्स्तर पर ग्राम ्सभा ्भेजती है। ्वह प्र्स्ताव जिला परि्द कलैक्टर को ्वाप्स आता है लेकिन ऐ्सी कोई ्बाइंडिंग नहीं है कि ग्राम ्सभा के मे्म्ब्र्स को मानना है। मैं आपके माध्यम ्से वि्नती करना चाहता हूं कि ्सरकार ऐ्से ठो्स कदम उठाए कि ग्राम ्सभा द्वारा जो प्र्स्ताव पारित कि्या जाए ्ब्लाक ले्वल ्या तह्सील ले्वल पर, ्वह ्बंधनकारक हो और उ्सका कुछ ्वेटेज हो।

हमारे यहां गरीबी उन्मूलन की जितनी स्कीमें हैं चाहे पीडीएस हो या और कोई हो, इन सब स्कीमों में ग्राम सभा और ग्रामीण जनता को विधान सभा में लाना बहुत जरूरी है। उधर उनके लिए पी.ड्ब्लू.डी. के कुछ काम होते हैं, इर्रीगेशन के कुछ काम होते हैं, फ़ॉरेस्ट के कुछ काम होते हैं, पीडीएस की कुछ स्कीमें हैं और दूसरा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक इंदिरा आवास योजना के अंदर स्कीम है। ग्राम सभा को मालूम नहीं होता है कि हमारे देहात में इंदिरा आवास के अंतर्गत किसको मकान मिला। इसका मतलब यह है कि ब्यूरोक्रैट्स ही देश का कारोबार चला रहे हैं और जो 80-90 फीसदी लोग किसान और मजदूर हैं, देहात में रहते हैं, उनकी जानकारी में वह स्कीम नहीं रहती है। इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि लोगों को स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है तो भ्रटाचार को बढ़ावा मिलता है। अगर ग्राम सभा मजबूत होगी तो भ्रटाचार भी कम होगा और गरीबों को फायदा मिलेगा। एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सॉइल कंज़र्वेशन की जो स्कीम चलती है देहात वालों को मालूम नहीं होता है और जब देहात में पेड़ लगते हैं तब गांव के लोग चर्चा करते हैं कि कौन सा पेड़ लगना चाहिए था। हर स्कीम में वही हाल है। ग्राम सभा को छोड़कर सब स्कीमों पर अमल होता है जिससे भ्रटाचार को बढ़ावा मिलता है। मेरा कहना है कि ग्राम सभाओं को मज़बूत किया जाएगा तो भ्रटाचार भी कम होगा।

सभापति महोदय, अगर सही मायने में भारत को आगे बढ़ाना है, तो हमें सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा, देहात की ओर जाना पड़ेगा तथा ग्राम सभा को स्वस्थ और मजबूत करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जय भारत।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। डॉ.

रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल इस सदन में प्रस्तुत किया है। मैं इसका समर्थन करने के लिए ख़ड़ा हुआ हूं। अगर भारत सरकार चाहती है कि गांवों की गरीबी दूर हो, तो वहां के आदमी की स्थिति को सुधारना होगा। जब गांव का आदमी मजबूत होगा, तो गांव भी मजबूत होगा और जब देश के गांव मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा। गांवों के विकास के लिए जो भी स्कीमें सरकार मंजूर करती है और उनके लिए जितना भी धन मुहैया कराती है वह गांवों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन वह पैसा गांवों तक नहीं पहुंचता। इसीलिए गांव का आदमी कमजोर है।

सभापति महोदय, एक अनुमान के अनुसार गांवों में मुश्किल से 30-35 प्रतिशत धन ही पहुंच पाता है और 65-70 प्रतिशत धन गांवों में नहीं पहुंचता बल्कि बिचौलिये और अधिकारी मिलकर हजम कर जाते हैं। इसलिए इस सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। हम अपने देश की तरक्की के बारे में डींग मारने का जो प्रयत्न कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, वह सत्य नहीं है। जितनी बातें हम आगे बढ़ने की कर रहे हैं, उतना ही हम पीछे हट रहे हैं। गांवों में आज भी भूख-प्यास व्याप्त है। उनके पास अनाज खरीदने के लिए भी धन नहीं है। आज भी गांवों में स्कूल के बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है। यदि देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें अपने देश के गांवों के बच्चों को भूखा नहीं रहने देना चाहिए। इस बारे में सरकार को कोई न कोई योजना बनानी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के विकास के लिए इस प्रकार का सिस्टम बनाने की आवश्यकता है जिससे हम जितना पैसा केन्द्र या राज्य सरकारों की ओर से स्वीकृत करें वह उन तक पहुंचे। जो अधिकारी हैं वे बीच में पैसा खा नहीं जाएं, ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। कर्मचारियों को जो पगार मिलती है उस पैसे को वे खाएं लेकिन ग्रामों के विकास के लिए, ग्रामीण जनता के विकास के लिए जो धन केन्द्र सरकार की ओर से जाए, उस धन को उन्हें नहीं खाना चाहिए। ग्राम सभाओं को हमें हर हालत में स्ट्रेंथन करना चाहिए।

सभापति महोदय, अन्त में मैं एक बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। देश में जो बिलो पावर्टी लाइन के लोगों का सर्वेक्षण हुआ है वह दुबारा होना चाहिए। जो वास्तव में गरीब लोग हैं, उनमें से बहुतों के नाम उसमें नहीं आए हैं। इसी प्रकार जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें भी सुधार लाने की आवश्यकता है। अपना देश तो अन्न-धान के मामले में दुनियां में सदैव ऊपर रहा है। चूंकि समय की कमी है इसलिए मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। इसे समाप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। समय कम है इसीलिए गरीबी बढ़ती जा रही है। अत: समय बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी गरीबी दूर होगी।

सभापति महोदय, माननीय रघुवंश बाबू ने जो ग्राम सभाओं को सशक्त करने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और पुरजोर मांग करता हूं कि ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए और मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस बिल को स्वीकार करे। यदि देश से गरीबी नहीं हटी, तो हमें इस सरकार को हटाना पड़ेगा। आपको बिना हटाए हम चुप नहीं रहने वाले हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि गरीबी को देश से जल्दी से जल्दी हटाया जाना चाहिए।

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह (कोडरमा): सभापति महोदय, रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जो बिल सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं। चूंकि मैं प्रधान से जिला परिद तक का अध्यक्ष रह चुका हूं इसलिए तजुरबे के आधार पर कहता हूं कि जो पंचायती राज की संस्थाएं हैं, जिला परिद, पंचायत समिति, ग्राम सभा हैं, हमारे नौकरशाह नहीं चाहते के वे मजबूत हों। जिला परिद और ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभाओं को मजबूत करने के काम में नौकरशाह लोग हमेशा अड़ंगा लगाने की कोशिश में रहते हैं। आप कागजों में देख लीजिए। सिर्फ कागजों में ही ये संस्थाएं मजबूत होंगी, लेकिन वास्तव में सरपंच और प्रधान कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो नौकरशाह होते हैं, वे उनकी इच्छा के मुताबिक काम नहीं करते हैं। इसलिए व्यापक रूप से इस बात की जरूरत है कि पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करना चाहिए।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तो नौकरशाह बिलकुल नहीं चाहते हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने गांवों में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति के बारे में बताया कि जो प्राथमिक स्कूल गांवों में चलते हैं उनकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं है।

पंचायती राज की संस्था पर उसका नियंत्रण था। यह चाहते हैं कि मिल जुलकर इसे कमजोर करें और यह कमजोर हुआ है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी कोशिश करें क्योंकि बरसों से इसकी चर्चा होती आ रही है और न जाने कितने अमेंडमैंट हुए है। अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि ग्रामों में पैसा नहीं पहुंच पाता है, इसमें सच्चाई है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने आपसे केवल दो मिनट मांगे थे और उसी समय के मुताबिक मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में बहुत जोरदार विचार-विमर्श चला। पिछले दिन भी जब इस सदन में ग्राम सभाओं की, जो कि पूरे देश में करीब ढाई लाख हैं, भागीदारी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में ज्यादा रूप से हो, इसके ऊपर विभिन्न सदस्यों ने जो सुझाव दिये, उन सुझावों में वाकई बहुत से ऐसे सुझाव आये हैं, जो पूरे देश को, हमारी ग्राम पंचायतों को, हमारी ग्राम सभाओं को और आम आदमी को बहुत आगे ले जा सकते हैं। यह विकास की दिशा में अति महत्वपूर्ण हैं।

माननीय सदस्य डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने यह प्रस्ताव रखा कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न ग्रामीण उपशमन कार्यक्रम और सार्वजनिक प्रणाली एवं अन्य कार्यक्रमों में लाभार्थियों की पहचान के लिए ग्राम सभाओं की उसमें अधिक से अधिक भागीदारी हो। इस सुझाव के ऊपर जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये, उनमें आदरणीय श्री रघुवंश प्रसाद जी, प्रभुनाथ सिंह, रासा सिंह रावत, रामजी लाल सुमन, खारबेल स्वाइं, पासवान जी, डा. वी. सरोजा, श्री अनादि चरण साहू, नवल किशोर राय और

डा लक्ष्मी नारायण पाण्डेय के सुझाव पिछले शुक्रवार जब इस सदन में चर्चा हो रही थी, उस समय दिये गये थे। आज जो सुझाव दिये गये, उन सदस्यों के सुझावों के ऊपर गौर करने के बाद हम वाकई ही उन सभी सदस्यों के सुझावों का इस संसद सभा में, अपने सभी कार्यक्रमों में ठीक तरह से पालन करने के लिए, उनकी निश्चित रूप से भागीदारी करने के लिए सृजन करेंगे।

महोदय, ग्राम पंचायतों के काम में पारदर्शिता लाने के लिए, लाभ का समान वितरण करने के लिए जहां सामुदायिक परिस्थितियों का सृजन है, उनसे ठीक सामंजस्य स्थापित करने के लिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका केन्द्र सरकार पूर्ण रूप से स्वीकार करती है। ग्राम सभाओं को गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। उन योजनाओं को दिशा निर्देश में विशे रूप से शामिल किया गया है। इस सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी के लिए मैं संक्षेप में विभिन्न योजनाओं की जानकारी बताना चाहूंगा। स्वर्ण ज्यंती स्वरोजगार योजना, गरीबी रेखा के नीचे जनगणना के माध्यम से जो चयन किये गये रखे हैं, उन परिवारों की सूची जिस ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित की जाती है, एस.जे.वाई के अन्तर्गत सहायता के लिए परिवारों की पहचान के अधिकार पर काम में लिया जाता है। व्यक्तिगत स्वरोजगारियों का चयन ग्राम में होता है। एस.जे.वाई. में स्वसहायता समूह के आधार पर योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। स्वसहायता समूह में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में जिन लोगों का नाम होता है, उन्हीं को उसमें लिया जाता है लेकिन इस योजना के अन्तर्गत बसावट के आधार पर एक तीन सदस्यीय समिति का सृजन किया गया है जिसमें सरपंच सहित ब्लौक अधिकारी एवं बैंक के अधिकारी भी होते हैं ।

ब्लॉक के अधिकारी को उसमें लिया जाता है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना - इस योजना का कार्य वास्तविक कार्य योजना तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए ग्राम पंचायत एकमात्र उपाधीकरण है। लेकिन योजनाओं की क्रियान्विती के लिए ग्राम सभा से अनुमोदित होना उसमें आवश्यक रूप से रखा गया है।

इस सदन में इंदिरा आवास योजना को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के दौरान विभिन्न प्रकार के सुझाव मिले हैं। लेकिन इंदिरा आवास योजना के तहत केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से ग्राम सभाओं को सम्पूर्ण रूप से अधिकार दिया हुआ है। ग्राम सभा ही इंदिरा आवास के लिए चयन करता है और उसका चयन ही आखिरी चयन माना जाता है। आज से लगभग एक साल पहले इस प्रकार के निर्देश भी जारी किए गए हैं लेकिन उसके बावजूद तरह-तरह की शिकायतें ब्लॉक स्तर पर हमें सुनने को मिलती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में इंदिरा विकास में धांधली की शिकायत मिलती है। ...(व्यवधान) इंदिरा आवास योजना में केन्द्र सरकार द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि जिला परिद और डी.आर.डी.ए. द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को इंदिरा आवास योजना में आवास का निर्णय लेना पड़ता है कि किस पंचायत में कितने मकान बनेंगे। इसकी सूचना प्रत्येक ग्राम पंचायत को भेजी जाती है और सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा द्वारा दिशा-निर्देश के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है। ग्राम सभा के अलावा अन्य अनुमोदित की हुई किसी भी इंदिरा आवास योजना को ...(व्यवधान)

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : मंत्री जी जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ग्राम सभा जो प्रस्ताव भेजती है, उसे ब्लॉक लैवल पर जिला परिद, डी.आर.डी.ए. नहीं मानती। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्हें पूरा करने दीजिए, उसके बाद पूछ लीजिए।

श्री महेश्वर सिंह : मंत्री जी यील्ड कर रहे हैं तो मेरा एक प्रश्न है। मूल प्रस्ताव इस बात को लेकर है कि ग्राम सभा चयन करे, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए। बाकी योजनाओं का प्रोसीजर तो सबको मालूम है। सदन की मूल चिन्ता यह है कि ग्राम सभा बुलाई जाए और वह इसे पारित करे। कागजों में तो है कि ग्राम सभा करेगी लेकिन जब ग्राम सभा नहीं कर रही है तभी यह प्रस्ताव आया है। ...(व्यवधान)

श्री सुभाा महरिया : यह सही बात है कि ग्राम सभाओं में उपस्थिति कम रहती है। हम जब किसी भी स्टेट में ग्राम सभा की मीटिंग के बारे में जानकारी लेते हैं तो वहां सदस्यों की संख्या कम रहती है। अलग-अलग प्रदेशों में प्रदेश की सरकारों ने विभिन्न प्रकार के प्रावधान कर रखे हैं। आसाम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, अंडमान-निकोबार, दमन एवं द्वीप में वहां ग्राम सभा के सदस्यों की 10 प्रतिशत संख्या निर्धारित की हुई है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पांचवे हिस्से की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। महाराद्र में 15 प्रतिशत इलैक्टोरेट के लिहाज से भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

वेस्ट बंगाल में 20 प्रतिशत सदस्यों का इसमें उपस्थित होना आवश्यक है। इसी प्रकार केरल में 50 से कम सदस्यों की भागीदारी को ग्राम सभा में स्वीकृति नहीं है। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा में अभी कोरम के लिहाज से कोई प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया है। ग्राम्सभाओं में जो भागीदारी बनाई गई है

â€¦(व्यवधान) रामदास जी, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। ग्राम सभा में सदस्यों की उपस्थिति संख्या होनी चाहिए। इसमें अवेयरनैस आज भी कम है, उस अवेयरनैस की जानकारी देश के लिए, पूरे देश भर में विभिन्न प्रकार की हमारी जो योजनाएं हैं, उनकी जानकारी देने के लिए ग्राम्सभाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकारों को सम्य-सम्य पर दिशा निर्देश दिये जाते हैं। प्रदेश सरकारों द्वारा सम्य-सम्य पर ग्राम सभाओं को करने के लिए हमारी तरफ से मार्गदर्शन भी दिये जाते हैं और उन्हें बराबर निर्देश भी दिये जाते हैं। इसके बावजूद मैं इस बात से सहमत हूं कि ग्राम्सभाओं की खानापूर्ति की जाती है, वह कागजों में की जाती है। प्रदेश सरकार की ही इसमें अहम भूमिका है, क्योंकि ग्राम्सभाओं का आयोजन प्रदेश की सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार अपनी ओर से ग्राम्सभाओं को करने के लिए निर्देश दे सकती है और उन्हें पालन करने के लिए रिपोर्ट भी मंगवाती रहती है। सम्य-सम्य पर केन्द्र की ओर से किन प्रदेशों में कितनी ग्राम्सभाओं का आयोजन हुआ, इसकी जानकारी भी ली जाती है। इन सब बातों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने एक आवश्यक निर्देश पालन करने के लिए विभिन्न प्रदेशों में लिखित रूप से निर्देश दिये हैं और उनके आवश्यक रूप से पालन करने के लिए निर्देशित किया है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, एक मई को श्रमिक दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और दो अक्टूबर को गांधी जयन्ती के अवसर पर आवश्यक रूप से ग्राम्सभाओं का आयोजन हो और उन ग्राम्सभाओं में गांव की विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ गांव के विकास के लिए बात हो। इस प्रकार से हम भागीदारी कर सकते हैं। इसको सुनिश्चित किया जाये, लेकिन बहुत से प्रदेशों में इसका पालन नहीं हो रहा है। प्रदेश की सरकारों को हम पुनः, जैसा कि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है, उनके सुझावों के आधार पर और हमारी ओर से भी हम निर्देशित करेंगे कि सम्यबद्ध कार्यक्रम अवश्य ही ग्राम्सभाओं का हो। ग्राम्सभाओं में ही निर्णय हों और उन निर्णयों पर क्रियान्विति करें। आज तीन प्रकार की ग्राम्सभाओं को पंचायत सभा के रूप में मान्यता दी जा रही है। बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि ग्राम्सभाएं एक तरह से ग्राम पंचायत की सभा मात्र बनकर रह गई हैं। यह बात सही है कि जिस गांव की आबादी 2000 की हो, उस आबादी के परिवारों की संख्या अगर 500 हो, वहां पर 100 व्यक्ति भी उस ग्राम्सभा में भाग नहीं लें और जब पंचायत के चुनाव हों तो उनमें से 1600 सदस्य उसमें भाग लें तो इसमें हमारी ग्राम्सभाओं की कमी नहीं, अपितु ग्राम पंचायतों के सरपंचों के द्वारा ग्राम्सभाओं की अनदेखी की जाती है। इसमें सुधार लाने के लिए हमारी ओर से पूरा प्रयास रहेगा। प्रदेश की सरकारों को इस बात के लिए हम पाबन्द करेंगे कि वे सम्यबद्ध ग्राम्सभाओं का आयोजन करायें। ग्राम्सभाओं का आयोजन नहीं कराने की स्थिति में केन्द्र सरकार ने अभी ई.एस. के पैसे को रोकने का प्रावधान किया है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : कृपया यह बता दें कि बिहार में कैसे ग्राम्सभाओं का चुनाव हो सकेगा, इस बारे में आपको क्या कहना है?

श्री सुभाा महरिया : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बिहार के बारे में पूछा है, माननीय डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने यह प्रस्ताव रखा है। ग्राम्सभाओं की भागीदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों में हो और गांव के विकास में हो। इस मामले में बिहार का खास तौर से आपने जब जिक्र

कि्या है तो मैं आपको ब्ताना चाहूंगा कि ब्िहार में पंचा्यत चुना्व 20-22 व्ा्ों से नहीं हुए हैं, यह ब्ात आप स्ब को पता है। माननी्य प्रभुनाथ स्िंह जी ने इस ब्ारे में काफी ज्ि्क्र इस स्दन में कि्या है।

राज्य स्रकार कि्स प्रकार से पंचा्यतों के चुना्व की अनदेखी कर रही है और ब्िना पंचा्यत चुना्व के ग्राम स्भा का होना दुकर ही नहीं अपितु ब्ल्कि नि्श्चित तौर से अस्ंभ्व है।

श्री शंकर प्रसाद जा्यस्वाल : रघुवं्श जी ने यह प्रस्ता्व रखा है। यह आ्श्वा्सन दें कि ब्िहार में ग्राम स्भा का चुना्व होगा, ग्राम स्भा सम्पन्न बनेगी, श्क्ति्शाली बनेगी।â€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, please address the Chair.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Jaiswal, he is not yielding. Please do not disturb.

...(*Interruptions*)

डा. रघुवं्श प्रसाद स्िंह : स्ब ब्ता देंगे।

श्री सुभा महरि्या : केन्द्र स्रकार ने ब्िहार प्रांत में पंचा्यत चुना्व के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी ओर से पैट्ीशन दाखिल कर रखी है और उसके लिए कार्र्वाई भी की है ज्ि्स से ब्िहार में पंचा्यत चुना्व हो। स्ब यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि पंचा्यत चुना्व के ब्ाद व्हां भी ग्राम स्भा का आ्योजन हो और भागीदारी नि्श्चित तौर से हो।â€¦(व्यवधान)

डा. रघुवं्श प्रसाद स्िंह : सं्विधान के मुताब्िक हो, यह भारत स्रकार ब्ता दे।â€¦(व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जा्यस्वाल : हाथी के दांत दिखाने के और तथा खाने के और हैं। अपने क्षेत्र में कुछ कहते हैं और यहां आकर ब्िहार के उत्थान का भा्ण देते हैं।â€¦(व्यवधान)

डा. रघुवं्श प्रसाद स्िंह : सं्विधान में क्या कि्या और हाइ-कोर्ट ने क्या कि्या, दोनों की दो रा्य हैं। कि्स कानून के मुताब्िक चुना्व हो? â€¦(व्यवधान)

श्री सुभा महरि्या : माननी्य स्दस्य रासा स्िंह रावत जी ने ग्राम स्भा को सुदृढ़ बनाने के लिए तीन चरणों की व्यवस्था के ऊपर काफी प्रका्श डाला है। ये तीन चरण ग्राम पंचा्यत, ब्लॉक पंचा्यत और जिला पंचा्यत हैं। इन तीनों के अधिकारों के ब्ारे में कि्स प्रकार से राज्य स्रकार उनकी अनदेखी कर रही है, राज्य स्रकारों ने ग्राम पंचा्यत, ब्लॉक पंचा्यत और पंचा्यत स्मिति इन तीनों की रूपरेखा अव्श्य रखी है लेकिन अधिकारों के नाम पर उन्हें काफी सीमित रखा है।â€¦(व्यवधान)

स्भापति महोद्य : मैं माननी्य स्दस्य से अनुरोध करूंगा कि ज्ब माननी्य मंत्री जी का उत्तर चल रहा है और रघुवं्श ब्ाबू को भी उस पर कुछ कहना है तो इसके लिए निर्धारित स्मय थो्ड़ा और ब्ढ़ा दि्या जा्ये। दस मिनट का स्मय और ब्ढ़ा दि्या जा्ये ताकि यह पूरा हो जा्ये और ज्ि्स से हम अहमद जी का प्रस्ता्व ले सकें।

â€¦(व्यवधान)

स्भापति महोद्य : कृप्या ब्ीच-ब्ीच में व्यवधान पैदा न करें।

श्री सुभा महरि्या : रासा स्िंह जी ने जो सुझा्व दि्ये हैं, अन्य माननी्य स्दस्यों ने जो सुझा्व दिए हैं, उसके ऊपर हमारा मंत्रालय अव्श्य ही राज्य स्रकारों को दि्शा-निर्देश जारी करेगा और उन्से ब्रा्बर सम्पर्क करेगा तथा अपनी ओर से क्रि्यान्व्यन कराने के लिए भरपूर प्र्यास करेगा। खार्बेल स्वाइं जी ने उड़ी्सा के ब्ारे में जानकारी दी कि ब्लॉक ऑफि्स और ग्राम स्भा कि्स प्रकार से एक-दूसरे के स्ाथ सामंज्स्य के रूप में काम नहीं कर रही है, यह चिंता का वि्य है। माननी्य स्दस्य के प्रस्ता्वों को हम एम,एल.ए., एम.पी. स्ब लोग मिलकर त्य करके स्बके ब्ीच में उन ब्ातों को ला्यें, इस प्रकार का भी माननी्य स्दस्य ने सुझा्व दि्या है। ग्राम स्भा के प्रस्ता्व पंचा्यत को दि्ये जाते हैं, पंचा्यत स्मिति के सुझा्वों को पंचा्यत स्मिति और स्मिति के सुझा्वों को जिला परि्द को दि्ये जाते हैं। होने को तो जिला परि्द में माननी्य स्दस्य और वि्धायक गण उसके स्दस्य हैं लेकिन उनकी भागीदारी सुनि्श्चित होनी चाहिए। व्ह भागीदारी सुनि्श्चित नहीं है। इस ब्ात में कहीं कोई स्ंदेह नहीं है लेकिन उसमें उनके सुझा्वों को प्राथमिकता के आधार पर लि्या जाता है और प्रदेश की स्रकारों को चाहिए कि ऐसे स्मय में मीटिंगों का आ्योजन करें तो कम से कम सां्सद उसमें भाग ले सकें। बहुत से प्रदेशों से इस प्रकार की शिका्यतें आई हैं कि ज्ब मीटिंग के आ्योजन होते हैं तो उस स्मय सं्सद का स्त्र चल रहा होता है। इस मामले में हमारे मंत्रालय की ओर से स्भी प्रदेशों को यह ब्ता दि्या ग्या है और राइटिंग में भेज दि्या ग्या है कि इस प्रकार के मौके पर मीटिंग कतई न करें और ज्ब सं्सद का स्त्र चालू हो तो हमारे माननी्य स्दस्यों की भागीदारी और उनके सुझा्व अव्श्य इसमें लेकर ही उन पर कार्र्वाई करें।

श्री सुरे्श रामरा्व जाध्व (परभनी) : इस पर अमल नहीं हो रहा है।

श्री सुभा महरि्या : अमल करने के लिए निर्देश जारी हो रहे हैं।

श्री खार्बेल स्वाइं (बालासोर) : महोद्य, जिला परि्द और पंचा्यतों की मीटिंग होती है, लेकिन इंदिरा आ्वास योजना या पैं्शन से सं्बंधित मामलों पर निर्ण्य उधर नहीं होता है। यह निर्ण्य डीआरडीओ में भी नहीं होता है। वे अपने आप कर लेते हैं।

स्भापति महोद्य : मंत्री जी, हमारे सामने स्मय की सीमा है।

श्री खार्बेल स्वाइं : महोद्य यह गम्भीर वि्य है। इस पर कोई ड्िसीजन तो होना चाहिए।

श्री सुभा महरि्या : महोद्य, पान्डे्य जी ने कहा कि योजनाओं का लाभ गांव के गरीब को मिले और वे लाभान्व्ित हों। मैं ब्ताना चाहता हूं कि सन् 1999-2000 ग्राम स्भा का व्ा रहा है और ग्राम स्भा से सं्बंधित योजनाएं 2000-2001 में जारी रखेंगे और उन्हें कार्यान्व्ित कराने का प्र्यास करेंगे, ज्ि्स प्रकार सन् 1999-2000 में कार्र्वाही हुई। ग्रामीण स्च्विालय योजना काम्याब नहीं रही, जै्सा कि मध्य प्रदेश के माननी्य स्दस्य ने भी कहा। इस ब्ारे में मैं आप्से सहमत हूं कि व्ाक्यी

ग्रामीण सचि्वाल्य योजना काम्याब नहीं हुई है और इसी कारण से इस योजना में काफी शिथिलता आ गई है।

माननीय सद्स्य हरि्शंकर जी, माननीय महेश्वर सिंह जी, श्री गिरधारीलाल भार्ग्व जी तथा अन्य माननीय सद्स्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उन सुझावों और वि्भिन्न उपायों के बारे में हम मंत्राल्य की ओर से प्रयास करेंगे। â€¦(व्यवधान)

श्री रामदास आठ्वले (पंढरपुर) : मंत्रीजी, बीपीएल फैमिलीज के बारे में बताइए।

श्री सुमा महरि्या : जहां तक बीपीएल फैमिलीज का सवाल है, जैसा आठ्वले जी पूछ रहे हैं, कि हम इनकी जनगणना या सर्वे कराय्ें, यह तो मुझे संभव नहीं लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश की सभी सरकारों से जानकारी लेकर और जिन लोगों को बीपीएल फैमिलीज में ले लि्या गया है, लेकिन वे बीपीएल फैमिलीज से ऊपर हैं, अमुमन ऐसी शिकायतें होती हैं, इस संबंध में आपकी तरफ से जो सुझाव आए हैं या आयेंगे, उनको नि्श्चित रूप से प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर दूर कराय्ेंगे। इसमें कहीं सन्देह की आव्श्यकता नहीं है।

ग्राम सभाओं का सही अर्थों में 73वें संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास कि्या था, ताकि ग्राम सभाओं में ग्रामीण निर्धनों, महिलाओं और सीमान्त कि्सानों को निर्ण्य करने का अव्सर मिले, जिनका संबंध उनके रोज-मर्रा के जीवन के साथ रहा है। ग्राम सभाय्ें सक्रि्य हो, निचले स्तर पर उनकी पारदर्शिता हो और उपलब्धि के आधार पर सुनि्श्चित की जा सकें, इस आधार पर माननीय सद्स्यों ने सुझाव दिए हैं। उन सुझावों को हम केन्द्रीय ग्रामीण वि्कास मंत्राल्य वि्भिन्न प्रदेशों में हमारे जो ग्रामीण वि्कास के वि्भाग हैं, उनके साथ ब्लाक स्तर पर, जिला स्तर पर और पंचायत स्तर तक, इन योजनाओं की जानकारी ग्राम सभा में नि्श्चित रूप से हो, ऐसा प्रयास करेंगे। ग्राम सभाओं के मापदंड हमारी जो ढ़ाई लाख ग्राम पंचायतें हैं, वहां पर भेजी जाय्ेगी, भेजी गई हैं, लेकिन जहां कहीं अधूरी रही हैं और 75 प्रतिशत जन्संख्या जो इस पर नि्र्भर है, उनको इसमें शामिल कि्या जाएगा। इसमें कहीं कोई सन्देह की आव्श्यकता नहीं है। â€¦(व्यवधान)

महिलाओं की भागीदारी को पूरा करने के लिए वि्भिन प्रदेशों में महिला सरपंचों की भागीदारी सुनि्श्चित की गई है। पंचायत समिति्यों में महिलाओं की भागीदारी सुनि्श्चित की गई है। ग्राम सभाओं में असली ड्रामा यह है कि महिलाय्ों ज्यादा होती हैं और पुरुष कम होते हैं। कई प्रदेशों में यह भी स्थिति देखी गई है। । इस संबंध में माननीय सद्स्य सुझाव दें, तो हम नि्श्चित रूप से प्रयास करेंगे। इन कार्य्क्रमों के अन्तर्गत लाभार्थि्यों का पता लगाने और उनकी भागीदारी सुनि्श्चित करने के लिए पहले ही उपाय शुरू कर दिए हैं।

यह जो प्रस्ताव रखा गया है, इसके लिए हम पहले से इस प्रकार का काम कर रहे हैं और जो वि्भिन्न सुझाव माननीय सद्स्यों के आए हैं, उन्हें हम लागू करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। अत: सरकार माननीय सद्स्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन नहीं करती है। धन्यवाद।â€¦(व्यवधान)

श्री महेश्वर सिंह : महोद्य, मैंने अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही थी कि ग्राम्स्भा बुलाई जाए। â€¦(व्यवधान) जब आपने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया है तो संविधान में प्रावधान क्यों नहीं करते कि जो ग्राम पंचायत ग्राम सभा न बुला सके,â€¦(व्यवधान) उसका कोरम तय कर दिया जाए। â€¦(व्यवधान) आपने खुद कहा कि कोरम अलग-अलग हैं- कहीं दस प्रति्शत और कहीं 25 प्रति्शत है।â€¦(व्यवधान)

श्री सुमा महरि्या : माननीय सद्स्य द्वारा जो यह बताया गया है, ऐसे केरल में आज की तारीख में लागू भी है। केरल में ग्राम पंचायत के वार्ड हैं, वहां अलग से सभा होती है। उन्हें केरल सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से जो समय दिया गया है, उस समय में अगर ग्राम्सभा की दो मीटिंगें लगातार नहीं होती हैं तो वार्ड पंच को निलम्बित कर दिया जाएगा। यह प्रदेश का वि्य है। केन्द्र सरकार अपनी ओर से उन्हें सुझाव दे सकती है। मैं माननीय सद्स्य के सुझाव का समर्थन करता हूं और इस पर कार्य्वाही करने के लिए भी हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे।

मैं अंत में रघुवंश प्रसाद जी से कहना चाहूंगा कि आपने जो प्रस्ताव रखा है, इसका हम आदर करते हैं, चूंकि आपके इस प्रस्ताव में ग्राम्सभाओं को व्यापक अधिकार दिए जाएं, उनके द्वारा जो भी योजनाओं को अमलीजामा पहनाना है, उनकी भागीदारी सुनि्श्चित करनी है, इसके लिए हमारी ओर से माननीय सद्स्यों के सुझावों पर अमल कि्या जाएगा और दि्शा-निर्देश दिए जाएंगे। मेरा नि्वेदन है कि आप इस प्रस्ताव को वाप्स लें और आपके सुझावों को हम अपनी ओर से पूर्ण रूप से लागू करने के लिए प्रयास करेंगे।â€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Dr. Raghuvansh Prasad Singh, are you withdrawing this?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोद्य, सभी पक्ष के लोगों ने एक स्वर से इसका समर्थन कि्या है। हम यह प्रस्ताव वाप्स ले लेते हैं और मंत्री जी का सुझाव मान लेते हैं। इसका सम्पूर्ण सदन के लोगों ने समर्थन कि्या है।â€¦(व्यवधान)

श्री सुमा महरि्या : हमने बिहार की बात तो मान ली है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोद्य, माननीय सद्स्य असली सरजमीन से संबंध रखते हैं। जब मंत्री जी भाण दे रहे थे तो हमने यही अनुभव कि्या-

> " तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी।"

कागज में तो मंत्री जी ने लिखा-पढ़ी वाला बयान दे दिया कि ग्राम्सभा सब कर रही है। सभी माननीय सद्स्यों ने अपने भाणों में कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है। गांवों में पैसा नहीं जा रहा और अगर जा रहा है तो बहुत कम जा रहा है। कम से कम 15 माननीय सद्स्यों ने इसमें रूचि ली- जि्समें रासिंह जी, प्रभुनाथ सिंह जी, वी. सरोजा जी, रामजीलाल सुमन जी, स्वाइं जी, साहू जी, पांडेय जी, मोहले जी, महेश्वर सिंह जी, भार्ग्व जी, बंसल जी, बैसीमुथि्यारी जी, शीशराम ओला जी, जाधव जी, तिलकधारी सिंह जी, आठ्वले जी, इन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूं कि इन्होंने गरीब आदमी की पीड़ा को समझा है और इसका समाधान कैसे होगा, इसके लिए सुझाव दिए। हमारा ख्याल है कि सरकार भी उन सुझावों पर अमल करेगी। श्री शंकर प्रसाद जाय्स्वाल बड़े चिन्तित थे। लोग बिना जाने हुए धारणा बना लेते हैं, वह कृपा करके समझ लें। सन् 1978 में हमारा ही राज था। स्व. कर्पूरी ठाकुर जी मुख्य मंत्री थे। वहां सन् 1978 में 17-18 र्वा के बाद पंचायत का चुनाव हुआ था। उसके बाद सन् 1980 से 90 तक कांग्रेस पार्टी का राज हुआ, उन दस र्वों में चुनाव नहीं हुए।

सन् 1990 में फिर हम लोगों का राज आ गया। सभापति महोद्य, आप शुरु से इस हाउस के सद्स्य रहे हैं और आपको याद होगा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस संदर्भ में 73वां और 74वां संविधान संशोधन कि्या। बिहार सरकार ने प्रतीक्षा की कि हम संविधान संशोधन के अनुसार बिहार में चुनाव कर्वाएंगे। संविधान संशोधन सन् 1993 में हुआ और इस बीच तीन साल चले गये। आपको याद होगा कि सन् 1990 से पहले संविधान संशोधन की प्रक्रि्या शुरु हुई थी और संविधान संशोधन की धारा 243 में ग्राम-सभा को अधिकार दिया गया है, वह सबको मालूम ही है।

भारत के संविधान में कहा गया कि पंचायत के सभी पदों पर आरक्षण होगा। महिलाओं को एक-तिहाई पदों पर तथा आदि्वासी, अनुसूचित जाति, जनजाति सब को

आरक्षण का लाभ मिलेगा। पिछड़ी जाति का आरक्षण अगर राज्य सरकार चाहे तो करे, उस पर कोई रोक नहीं है। यह संविधान में प्रावधान किया गया। बिहार की सरकार ने संविधान के मुताबिक आदिवासियों को, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिलाओं का आरक्षण किया। साथ ही उसके प्रावधान के मुताबिक पिछड़ी जाति का भी आरक्षण किया। प्रमुख, जिला प्रमुख. मुखिया आदि सभी पदों पर आरक्षण किया और कानून बनाकर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी। बिहार सरकार ने कमीशन से बक्से मांगे कि चुनाव के लिए उधार बक्से दे दीजिए। उन्होंने जब मना कर दिया तो बिहार सरकार का 38 करोड़ रुपया बक्से बनवाने में खर्च हुआ। लेकिन आरक्षण वाले प्रावधान को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गयी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रमुख, जिला प्रमुख और मुखिया का पद संविधान में एक ही है। एकल पद के चलते उस पर आरक्षण नहीं हो सकता। मुखिया, प्रमुख, जिला प्रमुख तीनों के लिए कहा कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार के सामने संकट आया कि संविधान में जो प्रावधान है उसके मुताबिक चुनाव करवायें या हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार चुनाव करवाएं। अब हाईकोर्ट का कानून लागू करें तो संविधान की अवेहलना होती है और अगर संविधान को लागू करें तो हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है, यह सभी जानते हैं। अब कोई भी संविधान का विशेज्ञ, समाजशास्त्री यह बताये कि राज्य सरकार कैसे कसूरवार है?

इस पर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया कि हाईकोर्ट के मुताबिक चुनाव करवाया जाये या संविधान के मुताबिक करवाया जाये, इस पर हमें निर्देश दिया जाये। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा-फेसी मानकर फुल-कांस्टीट्यूशन में उसको भेज दिया। इनके सॉलिसिटर उसमें हाजिर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाईकोर्ट के फैसले को हम स्टे करते हैं। अब भारत सरकार कहे कि संविधान के मुताबिक चुनाव हों या हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक चुनाव हों तो राज्य सरकार को चुनाव करवाने में कोई एतराज नहीं है। â€¦(व्यवधान) अब जायस्वाल जी को बार-बार समझाना पड़ेगा।

श्री शंकर प्रसाद जायस्वाल : सभापति जी, एक सवाल है।

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

17.00 hrs.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस प्रकार भारत सरकार ने बहाना बनाया और यह नहीं कहा कि इसे संविधान और हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक करिए। उसने बहाना बना कर गरीब राज्य के सवा छः सौ करोड़ रुपए रोका। हमने कहा कि लोक सभा भंग हो सकती है, विधान सभा भंग हो सकती है लेकिन संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार ग्राम सभा भंग होने का प्रावधान नहीं है। इसलिए ग्राम सभा को मजबूत किया जाए। पंचायतें रहे तो ठीक बात होगी लेकिन ग्राम सभा में पैसा जाए। इसका मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। केन्द्र सरकार ने इस वर्ा को ग्राम सभा वर्ा माना है या नहीं?

श्री सुभाा महरिया : केन्द्र सरकार ने 1999-2000 को ग्राम सभा वर्ा घोिात किया है। सन् 2000 में सभी कार्यक्रमों को ठीक उसी प्रकार जारी रखा जाएगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ईमानदारी और सच्चाई की बात है कि यह ग्राम सभा वर्ा है लेकिन कितने माननीय सदस्य जानते हैं कि यह ग्राम सभा वर्ा है? क्या गांव के अनपढ़ लोग जानते हैं कि यह ग्राम सभा वर्ा है? आपने इसका प्रचार नहीं किया।

श्री सुभाा महरियाः डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जो कहा मैंने उसे सुना। ग्राम सभा पंचायतें ढ़ाई लाख हैं। वहां इस बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनैस रहे, ग्राम सभा वर्ा की उन्हें जानकारी रहे, इसके बारे में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचना भेजी। इस पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, राजस्थान में समय-समय पर ग्राम सभाएं होती हैं।

श्री सुभाा मेहरियाः सभी जगह होती हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : पत्र लिखने से ही प्रचार नहीं होगा। प्रचार के दो जरिए हैं - एक प्रिन्ट मीडिया और दूसरा विजुअल मीडिया। इनका टेलीविजन अच्छी चीजें नहीं दिखाता है। मंत्री द्वारा जाली शिलान्यास कराने पर करोड़ों रुपया खर्चा आता है। क्या आप ग्राम सभाओं के लिए अखबारों में विज्ञापन नहीं निकाल सकते थे? इसका टी.वी. और प्रिन्ट मीडिया के जरिए देश भर में प्रचार करें। ग्राम सभा को जो अधिकार मिले हैं, वे सब चीजें एक किताब में आएं। आप गाइडलाइन्स बना कर दीजिए। मैंने रूरल डैवलपमैंट का लीफ लैट देखा है। इन्दिरा आवास के मामले में लीफ लैट प्रकाशित हुआ था। उसमें गाइडलाइन्स हैं। ग्राम सभा बैनिफिशरीज के नाम तय करे। इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों की जो लिस्ट है इसका निर्णय ग्राम सभा करती है या नहीं?

श्री सुभाा महरियाः इस बारे में डा. रघुवंश प्रसाद सिंह को ज्यादा चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हम ग्रास रूट के हैं। हम इसमें कतई कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप टी.वी. और प्रिन्ट मीडिया के जरिए इसका प्रचार करिए क्योंकि 15 से 20 हजार करोड़ रुपया इसके लिए जा रहा है लेकिन वह गांव में नहीं पहुंचता। हम यह चाहते हैं कि वह पैसा ग्राम सभा में चला जाए। आप ग्राम सभा को विलेज असेम्बली का दर्जा दें। वहां इसकी कोई सूचना नहीं होती। माइक से इसका प्रचार नहीं होता। उसमें पांच-दस आदमी बैठ जाते हैं। इस बात को सभी ने स्वीकार किया है कि ग्राम सभा की बैठकें नहीं होती। क्लॉज 243 (ए) में लिखा है कि ग्राम सभा होगी और उसे अधिकार दिया जाएगा। इसके लिए राज्य कानून बनाएंगे।

अब स्टेट ने कानून बनाया या नहीं, आप इसकी मानिटरिंग करे और जिसने यह कानून नहीं बनाया, उसके लिये कार्यवाही करे कि ग्राम सभा को अधिकार दिया गया या नहीं। ग्राम सभा को अधिकार दिये जाने की सूचना माइक द्वारा की जाये या लोगों के हस्ताक्षर करके की जाये। ग्राम सभा की बैठक सुनिश्चित हो। यह देखा जा रहा है कि कई राज्यों में कोरम तक नहीं होता। जो प्रस्ताव पारित किये गये, उनको रजिस्टर में लिखा जा रहा है या नहीं, उनकी अनुपालना हो रही है या नहीं, यह कौन देखेगा? उसका क्या निर्णय हुआ और वह क्रियान्वित हुआ या नहीं?

सभापति महोदय, जवाहर रोज़गार योजना के अंतर्गत आबादी के अनुसार गांवों को पैसा भेजा जाता है लेकिन वह पहुंचता है या नहीं, यह लोगों को मालूम ही नहीं होता।

सभापति महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आप प्रस्ताव पर आयें, इस पर बहस हो गई है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं ग्राम्सभा के प्रस्ताव पर आ रहा हूं। आप ग्राम्सभा की भागीदारी सुनिश्चित करें। आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 8 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं।

सभापति महोदय : इस विाय पर फिर से बहस नहीं होगी।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): मैं यह बात बता रहा हूं कि पी.डी.एस. को ग्राम्सभा द्वारा लागू करना चाहिये। उसमें 6 करोड़ परिवारों को लाल कार्ड दिया गया है जबकि 2 करोड़ परिवार छूट गये हैं। इसलिये हमने कहा कि यह ग्राम्सभा तय करे कि कौन गरीबी रेखा के नीचे है। जिनके नाम छूट गये हैं, उनका नाम दुबारा दर्ज किया जाये अन्यथा असली गरीब आदमी का नाम छूट जायेगा। माननीय सदस्य गांवों में जाते हैं और लोग उनसे कहते होंगे कि उन्हें लाल कार्ड नहीं मिला। 1993 में आई.आर.डी.पी. बना था जिसमें जाली लोगों की सूची तैयार हुई थी। और उसे ही लाल कार्ड का आधार मान लिया गया। इसलिये मैं कहता हूं कि जिन दो करोड़ परिवारों के नाम छूट गये हैं, उन्हें लाल कार्ड दिया जाये। चूंकि मंत्री जी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिये आग्रह करूंगा कि फूड विभाग को लिखें कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, उन्हें लाल कार्ड दिया जाये। इसके लिये लकड़ावाला कमेटी हो या प्लानिंग कमीशन क्या कहता है, उसके मुताबिक फूड विभाग को लिखें कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की सूची फिर से तैयार की जाये। यदि उस सूची में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालो के नाम नहीं है तो दर्ज किये जायें। ग्राम सभा यह देखे कि उसको मिला या नहीं। अफसर ग्राम्सभा की बैठक करे और पूछे कि दो महीना में गेहूं, चावल या अन्य सामान मिला या नहीं, अच्छा मिला है या खराब मिला है, कितना मिला? सरकार मिट्टी का तेल गांवों के लिये भेजती है लेकिन डिपो वाला बीच में बेच देता है और गांव के लोगों को मिलता ही नहीं।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिये। अब दूसरा प्रस्ताव लेना है और आपका सम्य समाप्त हो गया है। आप तो चेयरमन पैनल में भी हैं, कृपया सहयोग करें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मंत्री जी फूड विभाग को लिखें कि जिनको लाल कार्ड नहीं मिला, उसे दिलाया जाये। ऊपर बैठकर नाम जोड़ने से काम नहीं चलेगा। जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर जवाहर समृद्धि स्वरोजगार योजना कर दिया गया है। इसके लिये ग्राम सभा को तय करना चाहिये कि कहां स्कूल बनाना है, सड़क का निर्माण करना है। इसमें पहले कौन सा बनना चाहिये, यह वह तय करे। यहां से पैसा जाता है लेकिन खर्च कहां होता है, यह ग्राम सभा को देखना चाहिये। यदि ग्राम्सभा को सब कुछ जायेगा तो अच्छा होगा। अब मै इन्दिरा आवास योजना पर आता हूं।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिये। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

डा, रघुवंश प्रसाद सिंह : हम इन्दिरा आवास योजना के लिये न जाने कितना पैसा खर्च करते हैं लेकिन घूस देने पर ही गरीब का नाम उस सूची में लिखा जाता है।

यह सरजमीन की असली बात है। स्वाइं जी कह रहे थे कि यह ब्लाक में तय कर देते हैं, गांव सभा को मालूम नहीं होता है। जो घूस देता होगा, उसका बन जाता होगा।â€¦ (व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : सभापति जी, ऐसी बात सदन में नहीं कही जा सकती। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं उसमें ढाई कांस्टीटुएंसी बिहार की है और बिहार के लोगों की बात को इस तरीके से यहां रखना और किसी सदस्य को अपमानित करने का काम यहां नहीं किया जा सकता। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जिन प्रदेशों में ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं हुए...

सभापति महोदय : आप बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। आप इस पर नई बहस शुरू मत कीजिए।

डा.रघुवंश प्रसाद सिंह : हमने कहां किसी का अपमान किया है। वह कैसे गलत समझ गये। हमने कहा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इंदिरा आवास योजना की जो सूची बनती है उसमें गड़बड़ी होती है।

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, अब आप समाप्त कीजिए, फिर से नई बहस शुरू मत कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ब्लाक के पैमाने पर गड़बड़ी होती है, माननीय सदस्य समझ रहे हैं कि हम सदस्य का अपमान कर रहे हैं। इनको सीखना चाहिए कि कैसे किसी सदस्य का सम्मान किया जाता है, सदन का सम्मान किया जाता है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बूढ़ा-बूढ़ी पेंशन योजना, ऐसा गांव के लोग बोलते हैं। गरीब आदमी दौड़ रहा है, उससे दस रूपये ठग लिये, उससे 50 रुपये ठग लिये, वह बेचारा दौड़ रहा है। उसका ब्लाक में कोई नोटिस नहीं लेता है। जांच नहीं हुई। भारत सरकार से भी पैसा जाता हैâ€¦ (व्यवधान) इसलिए सामाजिक सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण योजना के लाभ के अभाव में गांव के लोग मर जाते हैं।

सभापति महोदय : यह नियमों के प्रतिकूल हैं, आप नये सिरे से चर्चा कर रहे हैं।

डा.रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, इसलिए ग्राम सभा को ताकत देनी चाहिए। लिखा-पढ़ी और व्यवहार में माननीय सदस्यों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। वीजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया में इसका प्रचार होना चाहिए। देश में सौ करोड़ लोगों की आबादी है, उन्हें सर्वप्रथम जानकारी होनी चाहिए। गांव के लोग नहीं जानेंगे कि हमारे क्या अधिकार हैं तो यह कैसे होगा। इसलिए उन्हें अधिकार देने का काम होना चाहिए और सब माननीय सदस्यों को जानकारी देने का काम होना चाहिए । इस पर मेरा सीधा मत है, सारे दुखों का एक इलाज है - लाख दुखों की एक दवा, सबसे ऊपर ग्राम सभा।

एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए ग्राम सभा को पूरे अधिकार दिये जाएं और ग्राम सभा तथा गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी जाए। ट्रांसपेरेन्सी पारदर्शिता भ्रटाचार को सबसे बड़ा इलाज है। लोग जानें कि असलियत क्या है। जब उन्हें जानकारी हो जायेगी कि हमारे गांव में पचास हजार रुपये खर्च होने हैं, गांव के लोग मुस्तैद हो जायेंगे। पचास हजार रूपया गांव में खर्च होगा, फिर क्या कमीशनखोरी रहेगी, रिश्वतखोरी रहेगा। सारी गड़बड़ी का इलाज ग्राम सभा है। आप गांव में उसका हिस्सा पहुंचाइये और इसे ट्रांसपेरेन्ट बनाइये। माननीय मंत्री जी दावा करते हैं कि वे गांव के हैं। लेकिन गांव के लोग अफसरों को पढ़ा-लिखा वाला बोलते हैं। असलियत में आपको बोलना चाहिए कि सरजमीन पर क्या है। सर्वश्री महात्मा गांधी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चौ. चरण सिंह, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, विवेकानन्द इन सबने तथा स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने संवैधानिक दर्जा दिलवाने का काम किया। इन सब महान लोगों का मत था कि इससे सभी गांवों को ताकत मिलेगी, विकेन्द्रित व्यवस्था होगी, तब गांव का कल्याण होगा। जो आठ हजार करोड़ रुपये की सब्सिडीâ€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप फिर से नई चर्चा शुरू कर रहे हैं। आप प्रस्ताव के बारे में बोलिये। इस पर नई चर्चा नहीं हो सकती ।

डा.रघुवंश प्रसाद सिंह : हमारे इस प्रस्ताव पर सबका समर्थन है। आप वोट करा दीजिए। इस पर हमें समर्थन है या नहीं । सारे लोगों ने हमारा समर्थन किया है और यही असलियत है। सरकार इसे मानने से क्यों पीछे हट रही है। सरकार कह रही है सब बातें ठीक हैं, संशोधन पास कर दिया जाए। लेकिन वोटिंग को नहीं मानेगी। महोदय, इस विय पर माननीय सदस्यों ने जो राय रखी है, सब लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है कि ग्राम सभा को सारे अधिकार मिलें। जो उनके गांवों पर खर्च होना है, जिसे बीमारी है, उसी के हाथ में इलाज दिया जाए, वह अपना इलाज करेगा। विभिन्न सामाजिक अध्ययन संस्थानों ने कहा है कि यहां से जाते-जाते रुपये में 15 पैसे ही पहुंचते हैं, शेा रास्ते में गायब हो जाते हैं। श्री मणि शंकर अय्यर जी हिसाब पढ़कर बता रहे थे कि गरीबी बढ़ रही है। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या बढ़ रही है। आप इधर करोड़ों-करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं और उधर गरीबी बढ़ रही है।

इसका मतलब यह है कि बीच में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। सबका इलाज है ग्राम सभा। इसीलिए हमने यह संकल्प रखने का प्रयत्न किया और माननीय सदस्यों ने जो इसका स्वागत किया और समर्थन किया, उनको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि जो सवाल हमने और माननीय सदस्यों ने उठाए हैं, उनका असली रूप में कार्यान्वयन करें।

श्री सुभाष महरिया : माननीय सभापति महोदय, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जो सुझाव दिये हैं और अन्य माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, मै उन्हे बताना चाहता हूं कि ग्राम सभाओं को मज़बूत बनाने के लिए हमारा मंत्रालय कटिबद्ध है और जो सुझाव दिये गए हैं, उनके आधार पर हमारी ओर से पूरा प्रयास रहेगा कि ग्राम सभाएं सुदृढ़ हों और ' एकै साधै सब सधै' की कहावत को चरितार्थ करें, इसका पूरा प्रयास रहेगा। इसमें कहीं संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी ओर से सभी सदस्यों को जैसे आपने कहा कि हमें लिट्रेचर की आवश्यक जानकारी नहीं मिलती है, सबको लिट्रेचर पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद।

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): I am on a Point of Order.

I am referring to Rule 183. It says:

> "A copy of every resolution which has been passed by the House shall be forwarded to the Minister concerned."

So, it is entirely in order for this Resolution to be passed rather than withdrawn. What is the problem for the Minister in accepting a Resolution whose every word he agrees with? All we want to do is that if the House passes this Resolution, and then it is conveyed to the Minister concerned, then, we believe that action on that will be taken more seriouslyâ€¦...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि आप अपने प्रस्ताव को विदड्रॉ करें चूंकि सरकार सारी कार्रवाई करने जा रही है और आपके विचारों से सहमत है।

श्री मणि शंकर अय्यर : मेरा कहना है कि आप अनुरोध कर सकते हैं लेकिन इस सदन को तय करना है कि सरकारी आश्वासन के आधार पर हम इस सदन को चलाएं या जो सर्वसम्मति से हमारा एक ही मत है, जिस मत से सरकार बिल्कुल सहमत है, कोई एक शब्द भी आपके प्रस्ताव में इंकार नहीं कर रही है, स्वीकार कर रही है। जब ऐसा है तो बेहतर होगा जबकि हमारे रूल्स के अंतर्गत नियम 183 के अंतर्गत हम इसको पारित कर सकते हैं तो हम इस प्रस्ताव को पारित करें और फिर देखें कि कार्रवाई कैसे हो रही है।

सभापति महोदय : मणि शंकर जी, आप उस समय सदन में नहीं थे जब मंत्री महोदय ने कहा था कि सरकार की ओर से सभी प्रकार के प्रयास किये जाएंगे, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में सरकार समर्थ नहीं है - यह वे पहले कह चुके हैं और इसीलिए मैंने प्रस्ताव को विदड्रॉ करने की बात कही है।

श्री मणि शंकर अय्यर : मेरा कहना है कि यदि रघुवंश जी विदड्रॉ भी करना चाहें तो भी सदन से पूछना चाहिए। बेहतर होगा कि आप इसको पारित करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : पंचों की जो राय होगी, वही हम करेंगे।

श्री सुभाष महरिया : सभापति जी, माननीय सदस्य मणि संकर जी सदन में पधारे, उससे पूर्व इस ग्राम सभा से संबंधित सभी बातों पर जो चर्चा हुई, उसके अंत में मैंने व्यक्तिगत रूप से और सरकार की ओर से डॉ. रघुवंश जी से निवेदन किया कि इस प्रस्ताव को वापस लेने का कष्ट करें और आप सभी सदस्यों की जो भावनाएं और सुझाव हैं उस पर क्रियान्वयन निश्चित रूप से किया जाएगा।

श्री मणि शंकर अय्यर : जब मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है तो उनको क्या ऐतराज़ है कि इस प्रस्ताव को पारित करें। यदि आपके कहने में कुछ कमी रही हो या आप सहमत नहीं हों तो मैं समझता हूं कि आपने कह दिया कि यह हमारा आश्वासन है, कृपया आप इसको पारित न कीजिए। लेकिन जबकि सरकार सहमत है और रूल्स में इसको पारित करने का प्रावधान है तो क्यों नहीं करें?...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी सरकार ने जो अनुरोध किया है उसको ध्यान में रखते हुए मैं प्रस्तावक से पूछ रहा हूं कि क्या वे अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहते हैं ?

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, सरकार ने जो कहा है और हमारी बात को अक्षरश: स्वीकार किया है तथा कहा है कि वे सभी सही हैं और सरकार उनको क्रियान्वित करने के लिए तैयार है तथा इस प्रस्ताव पर इस सदन में जो भी सुझाव माननीय सदस्यों ने दिए हैं सरकार उनको कार्यान्वित करेगी। सरकार के इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं अपने रिजोल्यूशन को वापस लेता हूं।

MR. CHAIRMAN : Is it the pleasure of the House that the Resolution moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh be withdrawn?

The Resolution was, by leave, withdrawn.